DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2023

'भ्रष्टाचार की जमीन' पर 'अतिक्रमण की रजिस्ट्री' करने वालों पर गिरेगी गाज

कठघरे में आए डीडीए व राजस्व समेत चार विभाग के अधिकारी

संजीव गुप्ता ● नई दिल्ली

जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगाकर जिन लोगों ने महरौली में अपना आशियाना बनाया, उन्हें नहीं पता था कि एक दिन यह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। सरकारी जमीनों पर जिस तरह से इमारतें खड़ी कर दी गईं और इन इमारतों की रजिस्ट्री भी हो गई, उसके बाद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कार्यप्रणाली कटघरे में है। अब सवाल केवल सीमांकन में विसंगति का ही नहीं है, बल्कि यह भी है सरकारी जमीन जब इमारतें खड़ी हो रहीं थी, तब ये अधिकारी कहां सो रहे थे। डीडीए, एएसआइ, दिल्ली पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों से लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उपराज्यपाल उनकी संलिप्तता की जांच कर रहे हैं।

महरौली स्थित बस टर्मिनल के पास अतिक्रमण हटाता डीडीए का बुलडोजर ● जागरण

महरौली में करीब 20 एकड़ क्षेत्र अतिक्रमण की जद में है। इसका बड़ा हिस्सा नेशनल आर्कियोलाजिकल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र का है। द एनशिएंट मान्यूमेंट्स एंड आर्कियोलाजिकल साइटस एंड रिमेंस (अमेडमेंट) बिल- 2017 के अनुसार ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा को देखते हुए इनके आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। इसी के मद्देनजर यहां सीमांकन किया गया और उसी के अनुरूप तोड़फोड़ शुरू की गई, लेकिन चार-पांच दिनों के हंगामे के बाद भी केवल चार हजार वर्ग मीटर जमीन से ही अतिक्रमण हटाया जा सका है।

एक दो नहीं, गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की शृंखला: सूत्रों के अनुसार इस प्रकरण में किसी एक विभाग या अधिकारी को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। नीचे से ऊपर तक अधिकारियों की पूरी शृंखला है। यह सभी निर्माण एक दिन या कुछ माह में नहीं हुए बल्कि सालों साल यह कार्य चलता रहा है। ऐसे में डीडीए, एएसआइ, दिल्ली पुलिस और राजस्व विभाग के सभी के अधिकारियों की भूमिका को गलत कहा जा रहा। डीडीए के अधिकारी अपनी जमीन नहीं संभाल सके तो एएसआइ ने प्रतिबंधित क्षेत्र में भी अतिक्रमण होने दिया। दिल्ली पुलिस ने अवैध निर्माण रोकने की जहमत नहीं उठाई और राजस्व विभाग के सब रजिस्ट्रार कार्यालय से यहां बनी इमारतों की रजिस्ट्री तक कर दी गई। 2016 से अभी तक डीडीए में पांच आइएएस अधिकारी उपाध्यक्ष के रूप में तैनात रहे। उधर, 2019 से अभी तक तीसरे भूमि प्रबंधन आयुक्त कार्य संभाल रहे हैं। मामले में भूमि प्रबंधन विभाग की लापरवाही सीधे तौर पर सामने आ रही है। हालांकि डीडीए अधिकारियों का कहना है कि दो बार पूर्व में भी अवैध निर्माण हटाए गए थे। सच यह है कि कार्रवाई के नाम पर बस नोटिस चस्पा किए गए।

2016 से 2023 के दौरान ये रहे डीडीए के उपाध्यक्ष

- 2016 से 2018 उदय प्रताप सिंह (आइएएस)
- 2018 से 2020 तरुण कपूर (आइएएस)
- 2020 से 2021 अनुराग जैन (आइएएस)
- 2021 से 2022 मनीष कुमार गुप्ता (आइएएस)
- 2022 से अभी तक सुभाशीष पांडा (आइएएस)

2019 से 2023 तक ये रहे भूमि प्रबंधन विभाग के आयुक्त

- 9 जनवरी 2019 से 9 सितंबर 2020 तक आर एन शर्मा
- 10 नवंबर 2020 से 27 अप्रैल 2021 तक डी. वर्मा
- 28 अप्रैल 2021 से आज तक विकास सिंह

लोगों को उपराज्यपाल से कार्रवाई की उम्मीद

अधिकारियों पर कार्रवाई की उम्मीद जताए लोगों को इस बार उपराज्यपाल से उम्मीद है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गलत सीमांकन की जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने की बात कही है। डीडीए उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा ने का भी कहना है कि सभी लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अब यह तो समय ही बताएगा कि इस बार भी समय बीतने के साथ सब कुछ शांत हो जाएगा या फिर कोई नजीर पेश हो पाएगी।

अवैध निर्माण के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो : विजय गोयल

महरौली में तोड़ फोड़ के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते विजय गोयल (मध्य में) व अन्य ● जागरण

- लोक अभियान संस्था ने किया जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन
- गोयल बोले, अधिकारियों के रिश्वत लिए बिना नहीं होता अवैध निर्माण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोक अभियान के अध्यक्ष विजय गोयल ने उपराज्यपाल से महरौली में अनधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बुधवार को जंतर-मंतर पर कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रुख अपनाया है, उन्हें विश्वास है कि वह इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई करेंगे।

विजय गोयल ने कहा कि पूरी दिल्ली अवैध निर्माणों से अटी पड़ी है, लेकिन इसके जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि यह सत्य है कि दिल्ली में अवैध निर्माण बिना संबंधित अधिकारी को रिश्वत दिए नहीं हो सकता। ऐसे में हर छोटे-बड़े निर्माणों को तोड़ने से पहले जेई, एई, एक्सईएन, डीसी, एडीएम, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस अवैध निर्माण के जिम्मेदार हैं। पिछले 30-40 सालों से यहां लोग रह रहे हैं और अपने खून-पसीने की कमाई से व बैंकों से ऋण लेकर उन्होंने अपने आशियाने बनाए हैं।

उन्हें पता ही नहीं है कि जमीन निजी है या सरकारी या निर्माण वैध है या अवैध। इसकी जानकारी देने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम भी बनना चाहिए। गोयल ने कहा कि उनका यह आंदोलन आगे भी चलता रहेगा और वे भ्रष्ट अधिकारियों के नाम भी उजागर करेंगे। इसके बाद उनपर कार्रवाई की जाएगी।

'समय पर पूरा हो भारत वंदना पार्क का काम'

- उपराज्यपाल ने द्वारका में बन रहे पार्क को लेकर अधिकारियों संग की बैठक
- कडकडडूमा के ईस्ट दिल्ली टीओडी हब की प्रगति का भी लिया जायजा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संपूर्ण भारत की झलक दर्शाने के लिए द्वारका सेक्टर-20 में बनाए जा रहे भारत वंदना पार्क के निर्माण की प्रगति का जायजा लेने के लिए बैठक की। साथ ही पूर्वी दिल्ली के कडकडडूमा में बनाए जा रहे ईस्ट दिल्ली टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट) हब के निर्माण के बारे में भी जाना। उन्होंने अधिकारियों को भारत वंदना पार्क को स्वतंत्रता दिवस से पहले और टीओडी हब के पहले चरण को मार्च 2024 तक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एलजी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अधिकारियों से इस संबंध में पूरी जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि टीओडी हब पूर्वी दिल्ली की स्काईलाइन को बदल देगा और क्षेत्र में अधिक आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत करेगा। भारत वंदना पार्क मिनी इंडिया का एक माडल होगा। कड़कड़डूमा में टीओडी हब का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रविधान करके बेहद समावेशी तरीके से आवासीय और वाणिज्यिक विकास को बढ़ावा देना है। भारत वंदना पार्क में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिष्ठित स्मारक स्थापित होंगे। एलजी ने ट्वीट में बताया कि साइट पर उनके दौरे के बाद से हुई प्रगति सराहनीय है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता से समझौता किए बिना समय से पहले परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश भी जारी किए।

समीक्षा बैठक में भारत वंदना पार्क और ईस्ट दिल्ली टीओडी हब की प्रगति की जानकारी लेते एलजी वीके सक्सेना ● सौजन्य : राज निवास

यमुना बाढ़ क्षेत्रों की सफाई के लिए अभियान आज से

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: यमुना के बाढ़ क्षेत्रों की सफाई के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना बृहस्पतिवार को विशेष सफाई अभियान शुरू करेंगे। इसमें समाज के सभी क्षेत्रों के लोग हिस्सा लेंगे। पहली बार प्रादेशिक सेना की 94 सदस्यीय कंपनी यमुना को प्रदूषित करने वाले सभी नालों की जमीनी स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करेगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 16 फरवरी 2023

डूसिब के रैन बसेरे पर बुधवार सुबह चला बुलडोज़र, 2014 में बेघरों के लिए बनाया गया था

'बांसेरा' के लिए उजाड़ा बसेरा, आनन फानन में हुई कार्रवाई से उठे सवाल

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

रिंग रोड पर सराय काले खां बस अड्डे के अपोजिट डीडीए की जमीन पर बने डूसिब के एक रैन बसेरे पर बुधवार की सुबह आनन फानन में बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। यह रैन बसेरा 2014 में यहां बनाया गया था, जिसमें करीब 40-45 बेघर लोगों के रहने का इंतजाम था। यहां पक्के टॉयलेट्स बने हुए थे। पीने के पानी की व्यवस्था थी। लोगों के मनोरंजन के लिए टीवी भी लगा हुआ था। सामान रखने के लिए लॉकर और अलमारी थी। सोने के लिए प्रॉपर बेड और बिस्तर-कंबल का भी इंतजाम था। रैन बसेरे के चारों तरफ लोहे की रेलिंग लगी पक्की बाउंड्री वॉल तक बनी हुई थी। एक एनजीओ के द्वारा इस रैन बसेरे का संचालन किया जा रहा था। कुछ बेघर लोग तो सालों से इसी के सहारे रह रहे थे, लेकिन बुधवार को वे अचानक सड़क पर आ गए।

डिमोलशन की कार्रवाई शुरू करने के लिए 10:30 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन सुबह 8 बजे से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई

वैसे तो, रैन बसेरे को हटाने का मुख्य कारण दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट को बताया गया है, जिसमें पुलिस ने दावा किया था कि इस रैन बसेरे में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जिसके चलते इलाके में क्राइम बढ़ गया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने डूसिब से इस रैन बसेरे को कहीं और शिफ्ट करने का अनुरोध किया था। मगर डीडीए के हॉर्टिकल्चर सिविल डिविजन के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा 31 जनवरी को डूसिब के डिप्टी डायरेक्टर (नाइट शेल्टर) को भेजे गए पत्र से पता चलता है कि असल में एलजी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'बांसेरा' की वजह से इस रैन बसेरे को हटाया गया है और इसके लिए ऑर्डर भी सीधे एलजी ऑफिस से ही आया था। इसी वजह से डीडीए और डूसिब से लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे थे। रैन बसेरे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी, लेकिन इससे पहले कि उस पर सुनवाई शुरू हो पाती, मौके पर पहुंचे दस्ते ने बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि, डिमोलशन की कार्रवाई शुरू करने के लिए 10:30 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन सुबह 8 बजे से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई।

एलजी ने दो बार यहां का दौरा किया था

यमुना के बाढ़ क्षेत्र में डीडीए बांस का एक गार्डन डिवेलप कर रहा है, जिसे 'बांसेरा' नाम दिया गया है। इसे दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। जी-20 समिट के दौरान दिल्ली आने वाले विदेशी मेहमानों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी इसी गार्डन में कराने की योजना है। सराय काले खां बस अड्डे की रेडलाइट के पास रिंग रोड के ठीक बगल में जिस जगह इस गार्डन का भव्य एंट्री गेट बनाया जाना है, उसी के पास यह रैन बसेरा बना हुआ था। पिछले महीने एलजी ने दो बार यहां का दौरा किया था। उसी के बाद इस रैन बसेरे को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई।

मौके पर मौजूद स्टेट लेवल शेल्टर मॉनिटरिंग कमिटी के सदस्य डॉ. इंदु प्रकाश सिंह का कहना था कि इस रैन बसेरे में रहने वाले लोगों के रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। डूसिब के अधिकारियों का कहना था कि इन लोगों को पास के ही एक दूसरे रैन बसेरे में शिफ्ट करने के लिए कहा गया है, लेकिन लोगों का कहना था कि वहां तो पहले से ही जगह फुल है। ऐसे में यहां से विस्थापित लोग कहां रहेंगे, इसे लेकर भी संशय बना हुआ है।

NBT नज़रिया

आश्रय स्थल या अधिसूचित झुग्गी बस्तियों को अगर विस्थापित करना जरूरी है तो इसके लिए पहले उन्हें रहने के लिए नया विकल्प दिया जाना चाहिए। गरीब और कमजोर आर्थिक परिवेश के लोगों के मामले में ज्यादा संवेदनशीलता की जरूरत होती है। इस बारे में अदालतों के आदेश भी हैं। और यह तर्क तो स्वीकार करने लायक है ही नहीं कि रैन बसेरे में आपराधिक कारगुजारी करने वाले लोग रहते थे, इसलिए उसे तोड़ दिया गया। इस मामले में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस, पुनर्वास पर होगा विचार

■ विस, सुप्रीम कोर्ट : सराय काले खां में नाइट शेल्टर तोड़ने करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पुनर्वास के मसले पर विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के आदेश से सराय काले खां में नाइट शेल्टर्स तोड़े जा चुके हैं। ऐसे में अब वह पुनर्वास के मुद्दे पर सुनवाई करेगा।

22 फरवरी को नाइट शेल्टर वाले केस में सुनवाई करेगा SC

प्रशांत भूषण ने यह मामला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने बुधवार सुबह उठाया और कहा कि सराय काले खां में नाइट शेल्टर्स तोड़े जा रहे हैं। चीफ जस्टिस की बेंच में कहा गया कि चूंकि यह मामला एस रविंद्र भट्ट की बेंच के सामने है, लेकिन बुधवार को वह नहीं बैठे हैं। ऐसे में इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की जरूरत है।

भूषण ने कहा कि मंगलवार शाम को तोड़फोड़ का आदेश दिया गया और बुधवार सुबह से ही तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि वह इस मामले में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने मामला उठाएं। इसके बाद मामला जस्टिस ऋषिकेश राय की अगुवाई वाली बेंच के सामने उठाया गया, लेकिन तब तक नाइट शेल्टर को तोड़ा जा चुका था।

सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि मामले में अब कोई अर्जेंसी वाली बात नहीं रही है। ऐसे में हम अब पुनर्वास मामले पर विचार करेंगे। भूषण ने कहा कि अगर आवेदन को पहले से पेंडिंग केस के साथ लिया जाए तो बेहतर होगा। पहले से मामले की सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तारीख तय है। जस्टिस राय ने कहा कि इस मामले में जो भी नया डिवेलपमेंट हुआ है, उसके मुताबिक आवेदन दाखिल किया जाए। उस आवेदन पर 22 फरवरी को विचार हो सकता है।

रैनबसेरा ज़मींदोज़, SC में अब पुनर्वास पर सुनवाई

■ विसं, नई दिल्ली : सराय काले खां में नाइट शेल्टर गिराए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के आदेश से सराय काले खां में नाइट शेल्टर्स ध्वस्त किए जा चुके हैं। ऐसे में अब वह पुनर्वास के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। सराय काले खां बस अड्डे के अपोजिट DDA जमीन पर बने रैन बसेरे पर बुधवार को बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। ▸▸ पेज 3

सराय काले खां में बने रैन बसेरे पर चला बुलडोजर

जाकिर नगर में DDA ने की तोड़फोड़

■विस, नई दिल्ली : एनजीटी के आदेश पर डीडीए ने बुधवार को जाकिर नगर में तोड़फोड़ की। इस तोड़फोड़ ड्राइव में डीडीए ने कई अस्थाई झुग्गियों और निर्माण को ढहाया। डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार, एनजीटी ने केस नंबर 6/2012 (मनोज मिश्रा वर्सेज डीडीए एंड अदर्स) में 13 जनवरी 2015 को आदेश दिया था कि यमुना बाढ़ क्षेत्र से सभी अतिक्रमण को हटाया जाए। एनजीटी के इन्हीं आदेशों के तहत जाकिर नगर के खसरा नंबर 276 और 366 से अस्थाई झुग्गियों और अवैध निर्माण को बुधवार को हटाया गया है

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2023 दैनिक जागरण ----------DATED----------

सराय काले खां में नाइट शेल्टर होम, जाकिर नगर में तोड़ीं झुग्गियां

डीडीए ने यमुना बाढ़ इलाके में चलाया अतिक्रमणरोधी अभियान

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : यमुना बाढ़ क्षेत्र इलाके में बुधवार को डीडीए ने अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया। सराय काले खां में नाइट शेल्टर होम तोड़ दिया। इसे दूसिब द्वारा 2014 में बेघरों के लिए बनाया गया था। दूसरी ओर जाकिर नगर में अवैध झुग्गियों को हटाया गया। डीडीए के कर्मचारी झुग्गियों के मलबे को ट्रकों में भरकर साथ ले गए। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान मौजूद रहे। डीडीए की ओर से बताया गया कि 13 जनवरी, 2015 में एनजीटी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, यमुना बाढ़ क्षेत्र इलाकों से सभी तरह का अतिक्रमण हटाया गया है।

डीडीए ने यमुना बाढ़ क्षेत्र में बांस का एक पार्क बांसेरा बनाने के लिए सराय काले खां के पास स्थित नाइट सेल्टर को तोड़कर अतिक्रमण हटाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह नाइट सेल्टर 2014 में दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड द्वारा बेघर लोगों के रहने के लिए बनाया था। लेकिन आज इसे पार्क बनाने के लिए तोड़ा जा रहा है जिससे कई श्रमिक जो यहां रहते हैं, उनका आश्रय स्थल खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर, निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 22 के पास जाकिर नगर में अवैध झुग्गियों को हटाकर क्षेत्र को अतिक्रमणमुक्त कराने का काम भी किया जा रहा है। यहां लोग करीब पिछले 30 सालों से झुग्गियां बनाकर रह रहे थे लेकिन अचानक डीडीए की कार्रवाई से क्षेत्रवासियों के लिए आवास की समस्या उत्पन्न हो गई है। आवास की समस्या के चलते इस दौरान अपने सामान को समेटकर एक किनारे बैठी एक वृद्ध महिला राबिया अचानक बेहोश होकर गिर गई।

जाकिर नगर में निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पिलर संख्या 22 के पास अवैध झुग्गियों को तोड़ने के दौरान छत पर चढ़े लोगों को हटाते सुरक्षाकर्मी • विपिन तर्रा

डीडीए की अतिक्रमणरोधी अभियान के दौरान बेहोश होकर गिरी महिला • जागरण

ससुर ने यहां पर जमीन खरीदी थी। 30 सालों से हम लोग यहां रह रहे हैं। बिजली के मीटर हमारे घरों में लगे हुए थे, जिन्हें हमारे घर तोड़ने से पहले निकाल लिया गया। जब हम लोग घर बना रहे थे, जब हम जमीने खरीद रहे थे, तब हमें क्यों नहीं रोका गया। - **अख्तरी बेगम**

मैं शेल्टर होम में 14 साल से रह रहा था। यहां पर पास में ही काम करते थे। इसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। यह अचानक क्यों तोड़ा जा रहा है। किसी को हमारी फिक्र नहीं है। - **सुनील कुमार**, सेल्टर निवासी श्रमिक

उधार पैसे लेकर हमने अपना घर बनाया था। करीब 15-16 साल से हम यहां रह रहे हैं। डीडीए के लोग आते हैं और हमारी झुग्गियों को तोड़कर चले जाते हैं। हमारी सालों की मेहनत और कमाई को बर्बाद करके हमें बेघर कर देते हैं। आखिर हम कहां जाएं ? **सुलाउद्दीन**, स्थानीय निवासी

जहां आज हम लोग श्रमिकों के लिए और ज्यादा आश्रय स्थल बनाने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं इस आश्रय स्थल के तोड़े जाने से श्रमिकों यानि नगर निर्माताओं के बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस सेल्टर में कई श्रमिक पिछले कई सालों से रहकर नगर निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं लेकिन अब शेल्टर टूटने से उनके लिए आवास की समस्या खड़ी हो गई है। - **इंदु प्रकाश सिंह**, सदस्य, स्टेट लेवल शेल्टर मानिटरिंग कमिटी

महरौली में सीमा विवाद में रुका बुलडोजर

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : महरौली में पांच दिनों से चल रहे डीडीए के अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद बुधवार को बुलडोजर शांत रहा। महरौली और लढ्ढा सराय के बीच सीमा विवाद के बाद डीडीए ने अपना हथौड़ा भले ही रोक दिया हो, लेकिन लोगों की चिंता जस की तस बनी हुई है। दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब लढ्ढा सराय और महरौली की सीमा रेखा दोबारा से चिह्नित की जाएगी। इसके बाद डीडीए अपनी रणनीति तय करेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सीमा विवाद में हम लोग फंस गए हैं। सवाल यह भी है कि डीडीए ने जिन लोगों के मकान ध्वस्त कर दिए हैं, उनका क्या होगा। क्या डीडीए भरपाई करेगा।

आखिर क्या है नया विवाद : दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री द्वारा यह स्वीकार किए जाने के बाद लढ्ढा सराय और महरौली का डिमार्केशन गलत है। इसके बाद लढ्ढा सराय और महरौली के बीच दोनों एसडीएम और तहसीलदार मिलकर नए सिरे से अपनी-अपनी बाउंड्री को सुनिश्चित करेंगे। मामले में पेच यह है कि डिमार्केशन के दौरान लढ्ढा सराय के एसडीएम और तहसीलदार ने दोनों तहसीलों की सीमा तय करके अपनी रिपोर्ट डीडीए को सौंप दी थी, जबकि नियम के मुताबिक, डिमार्केशन के समय दोनों तहसील के एसडीएम व तहसीलदारों की मौजूदगी जरूरी है। अब लढ्ढा सराय और महरौली की बाउंड्री के तय होने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।

अभी तक यह डिमार्केशन सैटेलाइट के आधार पर किया गया था, लेकिन अब इसकी नाप दोनों एसडीएम की मौजूदगी में होगी। यह डिमार्केशन 2008 और 2017 में की गई थी। नियम के मुताबिक, अगर यह बाउंड्री आबादी के क्षेत्र से गुजरती है, तो वहां के स्थानीय लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद इस रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से पेश किया जाता है, इसके लिए किसी पक्ष की आपत्ति के लिए तीन महीने का वक्त दिया जाता है। इसके बाद अंतिम रूप से डिमार्केशन मान्य होता है।

कालोनी के लोग हाई कोर्ट के रुख पर अपनी नजर लगाए हैं। बुधवार को कोर्ट ने डीडीए के वकील और पीड़ित पक्ष के वकील से कहा कि विकास सदन में बैठकर दोनों पक्ष विवादों को देखें। इसके बाद डीडीए अपना एफिडेविट फाइल करें।

पुनर्वास पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

22 फरवरी को अगली सुनवाई को होगी दिल्ली के सराय काले खां मामले में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान सराय काले खां में स्थित रैन बसेरा को ढहाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पुनर्वास के मुद्दे पर सुनवाई करेगा।

बुधवार को एक अर्जी के जरिये रैन बसेरा ढहाए जाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया, लेकिन जब तक कोर्ट में मामले पर सुनवाई का नंबर आया तब तक रैन बसेरा ढहाया जा चुका था। जब कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई तो कोर्ट ने कहा कि अब उसे ढहाने पर रोक का आदेश नहीं दिया जा सकता। अब कोर्ट पुनर्वास के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। बुधवार की सुबह 10.30 पर वकील प्रशांत भूषण ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। भूषण ने कहा कि यह सराय काले खां में रैन बसेरा ढहाए जाने का मामला है। वहां 50 लोग रहते हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2023
----------DATED----------

For Mehrauli's homeless, court & L-G interventions too little too late

Irfan in front of his razed house. He and his family have been camping opposite what was his two-storey house in the area

ARNABJIT SUR
NEW DELHI, FEBRUARY 15

SHANTI, 55, rummaged through the broken remains of what was once her one-storey house, frantically searching for utensils to cook food in. She couldn't salvage everything when the building, in South Delhi's Mehrauli, was razed on February 10.

"We weren't even given an opportunity to shift out all our furniture and other household articles. Bulldozers came in the afternoon and destroyed everything. My family of eight has been left on the streets," said Shanti, a day after the Delhi High Court stayed the DDA-led demolition drive.

Among the first houses to be demolished, she asked how the stay from the court would help those who have nothing left.

"My family and I have been living here for 20 years now. DDA officials came in December and put up a notice asking us to vacate the land. We were always scared but did not know this would happen so suddenly. My daughter was supposed to get married later this month; how will that be possible now?"

Irfan, 34, and his family have been camping opposite what was his two-storey house in the area, ever since it was razed by bulldozers on Tuesday afternoon.

Tears welled up in his eyes as he said: "We have lived here since 1985 and paid all our electricity bills. We even have identity cards with this address. How can we be thrown on the streets without any rehabilitation? What about my school-going children who are forced to sleep under the open sky?"

Irfan wishes the High Court's order had come earlier.

"The damage has already been done and all we have is a bunch of bricks lying at the spot where I have grown my family. I work as a daily wage labourer and cannot afford a loss like this."

A day earlier, Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena had ordered the Delhi Development Authority to stop the demolition drive at Mehrauli and adjacent Ladha Sarai village till further instructions.

Mopping away pieces of bricks, 71-year-old Mohammed Shakir said it feels like he has lost everything, including years of hard-earned money he put into making the house.

"My wife, son and I will set up a charpoy at the spot as we have no alternative place to go to. A few of our neighbours whose houses were saved after the stay order have offered us shelter and food, so we are surviving on the goodwill of others," Shakir said.

Apart from residential properties, several commercial buildings have also been demolished.

Arif, 38, who owned an AC repair shop inside the now demolished building near the Mehrauli bus terminal, said that more than the destruction of his office, he has sustained losses worth lakhs as several ACs and their parts were buried under the rubble after demolition.

"What will I tell my clients now? All my work documents and repaired appliances have been razed. I'm now looking for another place on rent," he said.

The drive, which began Friday, comes a month before a proposed G20 meet at the Mehrauli Archaeological Park.

The DDA has said that several "illegal" structures have cropped up in the area over the past several decades and the drive is intended to reclaim the government land.

After police flagged 'criminal elements', shelter home is razed

ANKITA UPADHYAY
NEW DELHI, FEBRUARY 15

AROUND 50 men living in a shelter home near Sarai Kale Khan inter-state bus terminal were left homeless on Wednesday following a demolition drive by Delhi Development Authority. This comes on the heels of a letter by Delhi Police which said the place was being used by criminals and miscreants.

The home shelter was run by Delhi Urban Shelter Improvement Board for the homeless, constructed after the Delhi High Court took cognizance in view of an increase in deaths of the homeless in the winter. Police in a letter to DUSIB CEO on February 7 said that at night, it remains full and the occupants often create ruckus after getting drunk, and it is the favourite hideout of history sheeters. "The surroundings are often packed with spilt garbage, leading to epidemic diseases like Dengue, Malaria, etc," said Esha Pandey, DCP (South East).

However, men living in the shelter said that they have been working as labourers in the nearby construction sites.

25-year-old Anil Kumar, a resident of Uttar Pradesh's Jaunpur, said he hasn't been able to earn even Rs 500 per day. "Why would I drink?" He claims he did BA from Shri Vishwanath PG College Kalan Sultanpur, but couldn't get a job anywhere. "I don't get work every day, and whatever I earn gets spent on food and shelter. Now, I don't know where I will live or how I will eat," says Anil.

50-year-old Amravati's and her husband Mahendra's shop was also demolished along with the porta cabin that acted as a shelter home for the homeless.

"We had a small shop that sold tea to travellers and construction workers, but now that the shop is gone, we don't have a source of income," said Amravati, who used to earn around Rs 300-400 every day by selling tea and snacks.

She added that her husband is weak after his stomach surgery went wrong, and they were saving money to get the surgery done again.

Sunil Kumar Aledia, executive director at Centre for Holistic Development, an NGO working to provide shelters, said that the demolition is a waste of public money and the shelters could have been rehabilitated. He has filed a petition in the Delhi HC against the demolition drive.

SC to deal with rehabilitation

The Supreme Court Wednesday said it will consider the issue of rehabilitation following the demolition of a night shelter by DDA in Sarai Kale Khan.

Noting that the structure had been removed by the time it took up the matter, a bench of Justices Hrishikesh Roy and Dipankar Datta said "we will deal with their rehabilitation". Advocate Prashant Bhushan appearing for the petitioner said authorities had not given an alternative arrangement.

At DDA office, queue to prove ownership

ANKITA UPADHYAY
NEW DELHI, FEBRUARY 15

FROM 84-YEAR-OLD people who have been living in the area for 65 years to those who recently bought flats as late as last August, Mehrauli residents reached Delhi Development Authority (DDA) office on Wednesday evening to show their land and flat documents to officials.

Those living in apartments and societies and many owning independent flats visited the office with their legal representatives. A representative of each apartment and land was called by DDA where the documents were checked till late night.

Most residents said while their houses have not been demolished yet after a stay from the Delhi HC till February 16, they are scared as notices have been pasted on their walls, and the DDA has said their house comes under the demarcated land.

R K Kapahi (84), a landowner in Mehrauli, said he came to Delhi after Partition when he was 8.

"We started living in Mehrauli in a house belonging to Muslims who left for Pakistan. This was given to us under the Custodian of Enemy Property Act, 1968. The nearby land was then auctioned by the government which we bought for Rs 1,200 and registered in 1969. It was never agricultural land," said Kapahi.

"All documents we are holding are legitimate and certified. They are claiming that the land we are living on is agricultural land and falls under Ladha Sarai, but it is not true," Kapahi, a retired MCD employee said. "I lost my house once in childhood. I cannot lose it again," he said. Kapahi added that he has been roaming around the city since 8 am.

66-year-old Gurdayal Kohli's family has been living in the area since Partition. "My father came to India from Lahore. We were living in a small house. Later, we bought more land through an auction. In 2007, we built apartments on it," he said. "Ours is a custodian land. The land was ours even before the DDA came into existence. I am the actual heir to the property. Now there are over 50 families staying in the apartments which we later built on the land," said Gurdayal.

He said that if DDA has all the records, then they had their own. "How can they deny our genuine land and documents? Court is the only option," he added.

According to Ashwini Phillip who bought a flat in the same society as Gurdayal and Kapahi, at the time of buying the flat, they got their papers checked at Tehsil and got a loan sanctioned.

Arif Khan (30) who bought a flat in Star One society said that it has come as a big shock to his parents who had dreams of owning a house. "Currently, we live on rent in Ghaziabad. I have taken a big loan to buy this house. We will probably continue to live in a rented accommodation if this doesn't work out," said Arif.

Mamta Devi, a house owner, said that her children have fallen sick after crying for hours after the demolition drive. "We have electricity metre, water bills, house tax, and despite that, our house has been called illegal," she added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times
NEW DELHI
THURSDAY
FEBRUARY 16, 2023

Mehrauli homes razed, their owners seek refuge with kin

Sadia Akhtar
sadia.akhtar@htlive.com

NEW DELHI: Residents of ward number 8 in Mehrauli, where several buildings were razed by the Delhi Development Authority (DDA) in a demolition drive that began on Friday to remove alleged encroachments close to the Mehrauli Archaeological Park, are still in shock. To purchase their houses in this locality, called Aam Bagh, some spent their hard-earned savings while others took loans, but when their homes came crashing down, so did their dreams.

Some of the affected families have moved in with relatives while they come to terms with their new predicament, while others are living in the open, near the debris of their homes, they told HT.

According to DDA, the aim of the drive was to remove encroachments from authority-owned land in Ladha Sarai village near the archaeological park and "reclaim encroached government land for its rightful use by all citizens as a park". In a written statement last Saturday, DDA said a demarcation exercise had been carried out on the directions of the Delhi high court in the presence of DDA and Waqf Board representatives by the revenue department, GNCTD in December 2021, and the aim of the current drive was to "reclaim encroached government land for its rightful use by all citizens as a park". Lieutenant governor VK Saxena on Tuesday directed DDA to stop the drive till further instructions.

DDA initiated the demolition drive last Friday. RAJ K RAJ/HT

Raju Khertala in 2019 bought a 1-BHK flat for ₹17 lakh in Orchid Apartments, which was demolished on Saturday. He and his family members have now rented a one-room accommodation. The family suffered a bigger setback since Khertala's daughter Kavita was going to get married next week, and all ceremonies leading up to the wedding had to be called off. The family claims it has land registry documents, an electricity metre, and other identity documents issued at the address, but said that none of these papers could convince the DDA to hold back its bulldozers.

"The wedding functions that were scheduled to take place earlier have been cancelled since we no longer have a house of our own. All bookings have been cancelled and the money that we invested went down the drain," said a dejected Kavita. She said while they have moved to a rented house, most of their household items have been kept at houses of different relatives.

"Everything is in disarray and on most days, we buy food from outside or our relatives deliver meals," said Kavita.

Munesh, who goes by his first name, owned a flat on the ground floor of the same building. Since the demolition, he has moved to a rented accommodation in Mehrauli. Munesh said that some landlords were profiting from the misery of the people whose houses had been demolished and were charging higher-than-usual rents.

"I purchased the flat one year ago for roughly ₹10 lakh with my savings. We checked the documents before buying the flat. The land was seemingly registered and nothing seemed amiss," said Munesh.

Apart from Orchid Apartments, DDA razed at least five houses in the vicinity of a heritage fountain, Sahira Bano's house was among them. Since the demolition, Sahira, her husband, and their three daughters are living under the open sky with no shelter.

On Monday, when HT visited the area, Sahira and her daughters were perched on a small bed, positioned precariously next to a tree and a swamp ridden with sewage.

"We have been staying here since our house was razed. Except this bed, we don't have much left now," said Sahira, who used to teach the Quran to neighbourhood children earlier.

Sahira, 60, who grew up in Mehrauli, said her family had lived in Mehrauli for decades, and much before the DDA came up with the 2021 demarcation exercise, based on which the current demolition exercise is being carried out.

About 12-15 houses were also razed in ward 1, adjacent to a gurdwara and a mosque. Imran Khan, whose house was razed, said the LG has halted the bulldozers for now, but families like his have nowhere to go. Khan's family of seven, which includes a six-month-old infant, is also staying in the open in a vacant plot opposite his demolished hut. Khan, who drives an autorickshaw on rent, said that renting a place was not an option.

"I have been looking for a temporary accommodation but the rent is exorbitant. I don't earn a lot and there has been hardly any income for the past one month since I have been running to courts and skipping work," said Khan.

{ BLAME GAME ON DEMARCATION }

Plan rehabilitation in Tughlaqabad, orders Sisodia

HT Correspondent
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Deputy chief minister Manish Sisodia has directed chief secretary Naresh Kumar to prepare a proper rehabilitation plan for families who are going to be affected by a proposed anti-encroachment drive in a Tughlaqabad village on Archaeological Survey of India (ASI) land.

On January 11, ASI posted a notice on houses in Churiya Mohalla in Tughlaqabad, directing residents to vacate the area within 15 days. The deadline expired on January 26.

The exact date of demolition will be decided as per security arrangements, officials aware of the matter said.

According to officials of the ASI Delhi Circle, an area of 2,661 bighas was handed over to the ASI by the DDA for maintenance decades ago. The land is part of the Tughlaqabad Fort, a protected monument.

There was no response from the chief secretary's office.

AAP, BJP trade barbs

The Aam Aadmi Party (AAP) and the Bharatiya Janata Party (BJP) on Wednesday exchanged barbs over the Delhi Development Authority's demolition drive at south Delhi's Mehrauli, finding faults with the land demarcation carried out by the land owning agency and the Delhi government.

The AAP legislator from Malviya Nagar, Somnath Bharti, alleged that the lieutenant governor was responsible for the demolition of houses that have allegedly come up close to the Mehrauli Archaeological Park, even as BJP legislator Ramvir Singh Bidhuri accused the Delhi government for carrying out a flawed land demarcation exercise in the area.

"Had the LG agreed to AAP's position that the demarcation report was flawed, then such a massive tragedy could have been avoided," Bharti said.

Bidhuri, leader of the opposition in Delhi assembly, said the wrong demarcation was carried out by the Delhi government, and the revenue minister should resign. "Kailash Gahlot has admitted that there was a mistake in the survey by Delhi government officials," Bidhuri said.

The LG office did not comment on the allegations by Bharti.

HC SAYS STATUS QUO FOR ONE DAY ON MEHRAULI DEMOLITIONS

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi high court on Wednesday ordered status quo on the demolition of several properties in Mehrauli till February 16, while hearing three fresh petitions challenging the Delhi Development Authority (DDA) drive in the area.

In one of the pleas, moved by a resident of Qutub Green Apartments comprising 48 flats, the counsel argued that the sale deed was registered and recorded in the sub-divisional magistrate's office. The court, while ordering status quo, asked the Archaeological Survey of India (ASI) to join the existing suit and the petitioner to supply a copy of the petition to the standing counsel for the ASI. The court also asked the DDA to file its response and posted the matter for hearing on Thursday.

To be sure, the high court had already ordered status quo on demolition in four petitions last Friday, eight petitions on Monday, and 15 petitions on Tuesday.

Meanwhile, AAP MLA Naresh Kumar Yadav on Wednesday withdrew his plea challenging the demolition drive in south Delhi's Mehrauli area, after the Delhi high court said that the petition is in the nature of a Public Interest Litigation (PIL).

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

'We Were Just Thrown Out Like Unwanted Stuff'

SARAI KALE KHAN SHELTER: Residents Say Not Given Any Time To Find Alternative Place For Themselves Or Their Belongings

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: With the authorities having hurriedly demolished a night shelter for the homeless at Sarai Kale Khan before the Supreme Court could hear the matter on Wednesday, the court said it would now focus on the rehabilitation of the shelter users.

"Unfortunately, nothing can be done now if it has already been demolished," said the bench of Justices Hrishikesh Roy and Dipankar Datta. "We will deal with their rehabilitation." As the main case is coming up for hearing on February 22, the bench said it would deal with the issue that day.

The application, filed by Prashant Bhushan, alleged that the decision to demolish the shelter was taken at a meeting of the State Level Shelter Monitoring Committee (SLSMC) following a proposal floated by DUSIB.

The reasons given for the proposed demolition were that it had become a "hideout for history-sheeters" and that the site is one of the locations selected for the G20 summit events due to be held in Delhi.

Challenging the decision, the application said, "Orders for the removal of the shelter home by criminalising the homeless or for the beautification of the city and the construction of dream projects cannot be allowed and amounts to a gross violation of the right to life of the homeless."

The authorities were in such a hurry that even salvageable items such as a water tank and grilles, which could have been reused elsewhere, were razed.

SLSMC member Indu Prakash said the demolition notice was issued on Tuesday, as reported in **TOI**, and a decision had been taken by them to approach the Supreme Court and Delhi High Court on Wednesday morning.

"We were totally against the demolition which was planned at a short notice without giving any alternative site to the homeless people living here and after tagging them as 'criminals'. The drive was supposed to start after 10.30am, but probably the authorities got wind of our plan to approach the court which is why they reached the site at 8.30am. Action was started as soon as police arrived," said Prakash.

Photos: Tarun Rawat

LEFT IN THE LURCH: The authorities were allegedly in such a hurry that even salvageable items such as a water tank and grilles, which could have been reused elsewhere, were razed

PANEL MEMBER SAYS

The drive was supposed to start after 10.30am, but probably the authorities got wind of our plan to approach the court which is why they reached the site at 8.30am. Action was started as soon as police arrived

The night shelter was located at the entrance of DDA's bamboo park, Baansera, which will be used for holding events during the G20 summit. DDA had approached DUSIB for its removal and later the police had added their observation that there had been a gradual increase in thefts, snatchings and robberies after the shelter came up in 2014 and hence it must be removed.

"The DUSIB staff landed here around 8am and started scolding people for not vacating the structure even after a notice had been issued," said caretaker Amit. "They were rude and started taking out beds and other material though people were still gathering their belongings."

Two bulldozers, tractors and 15 labourers were deployed for pulling down the structure, said a worker at the site, adding that they were asked to complete the work quickly.

"We were not even told where to go, and just like unwanted stuff we were thrown out of this place. In fact, we came to know that there was a plan to demolish the structure only on Tuesday evening," said Anil Kumar, who had been living at the shelter for two-and-a-half months.

"There were so many needy people living here, including those who do petty jobs and don't have the money to pay rent. The authorities can hide the poor but they can't hide poverty by building walls or doing beautification work. Prior to this, two shelters were removed from the area which is unfair to poor people," said Umesh Chand, a resident of Etah (UP), who has been staying there for two-and-a-half years.

A DUSIB official, however, said that people were informed about another night shelter on the other side of the road (Nizamuddin) which can accommodate all. "At this shelter, there was a time when not even 10 people were staying. It was running from a temporary porta cabin. We did give prior intimation about the demolition," said the official. Indu Prakash, however, said that the shelter at Nizamuddin was full and everyone cannot be accommodated there.

'Identify land for rehab of Tughlaqabad Fort squatters'

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi Deputy chief minister Manish Sisodia on Wednesday directed chief secretary Naresh Kumar to identify a piece of land in the vicinity of Tughlaqabad Fort and prepare a rehabilitation plan for the families living inside the fort and facing eviction notice.

Officials said the chief secretary had been asked to submit a status report within a week.

Delhi High Court had also directed the chief secretary earlier this month to call a meeting with Delhi Development Authority (DDA), Delhi Urban Settlement Improvement Board (DUSIB), Municipal Corporation of Delhi (MCD), Archaeological Survey of India (ASI), Delhi Police and the district magistrate concerned on February 20 to discuss a comprehensive plan for the resettlement of residents of the Tughlaqabad Fort area, who are facing eviction pursuant to a demolition notice issued by the Archaeological Survey of India (ASI) last month.

The court had asked for the plan to be placed on record within four weeks.

File photo

More than 1,000 families currently reside in the Tughlaqabad Fort area

Sisodia said the proposed demolition drive by ASI would prove "extremely cruel" to the people living in that area for a long time. He asserted that no demolition should take place without ensuring adequate rehabilitation first.

"The chief secretary should coordinate with the land owning agency, identify land closest to the current residence of the affected for their rehabilitation, and develop a detailed and appropriate rehabilitation plan to allocate land to them," Sisodia said.

More than 1,000 families currently reside in the Tughlaqabad Fort area, which was recognised by the Supreme Court as a "protected monument" in February 2016.

The apex court had directed the ASI for "removal of unauthorised construction as also the encroachers from public land".

AAP, BJP blame each other on Mehrauli mess

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: In a letter to lieutenant governor VK Saxena, AAP legislator Somnath Bharti on Wednesday accused him of indulging in politics over the now-halted Mehrauli demolition drive and trying to malign the clean image of CM Arvind Kejriwal.

The MLA claimed that the LG had issued a press release stating that the flawed demarcation in Mehrauli was due to the AAP government, while in reality, the survey report, which became the basis of the demolition order, was neither shared with the office of the chief minister nor with that of revenue minister Kailash Gahlot.

Delhi Development Authority, the land-owning agency that was carrying out the drive, earlier submitted in the high court that the demolition would be done only as per the demarcation report prepared in 2021 and only encroachers would be removed.

Bharti alleged that the LG's decision to go ahead with the demolition was contempt of Supreme Court judgments because revenue office matters fall in the jurisdiction of the chief minister of Delhi and, hence, it should have gone through the CM's office or his cabinet. "Any direction given on a revenue office matter by the chief minister of Delhi or his cabinet cannot be disrespected by the executives and any deviation from this will amount to the dereliction of duty and the contempt of Supreme Court," he claimed. Gahlot on Saturday wrote to the district magistrate (south) to conduct a fresh demarcation study, but the order was not followed.

Sanjeev Rastogi

The anti-encroachment drive at Mehrauli was halted on Tuesday

The leader of opposition in the assembly, BJP's Ramvir Singh Bidhuri, claimed that Delhi government itself accepted that such a situation had arisen due to the wrong survey of its revenue department. "Gahlot himself has accepted that there was a mistake in the survey of Delhi government officials. That is why the survey has been ordered again," the MLA said. "Due to the mistake of the officers, people have lost their home, so it is not only the responsibility of the officers but also of the revenue minister," he insisted.

Bidhuri said the double standard of the Kejriwal government had been exposed. "Houses are being demolished due to the wrong survey of Delhi government officials while AAP functionaries are shedding crocodile tears standing with the uprooted people. The public has understood that this disaster would not have happened if Delhi government had not shown such carelessness," he alleged.

DDA to examine property papers for 'correct picture'

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: A day after the high court halted the Mehrauli demolition drive, Delhi Development Authority (DDA) met a delegation of residents on Wednesday and took copies of their property documents to examine them. A senior official said a committee had been formed and it met the delegation. "We will examine these documents so that a correct representation can be made in the court," said the official.

Sujoy Jha, who lives in Green Apartment, said, "The officials took copies of the registry, stamp duty payments. They also took details of the number of flats and the overall geography of the area." He said the delegation mainly comprised residents of four adjoining apartments. A senior DDA official said representatives from other apartments could also meet them.

The demolition drive, which started on Friday, was halted on Tuesday after Delhi High Court directed authorities to maintain status quo till February 16 in the Mehrauli Archaeological Park area where demolition was being carried out as part of an anti-encroachment drive. The HC asked DDA to submit its stand on a batch of petitions challenging the action and seeking a bar on demolition till a fresh "demarcation report" has been prepared.

Residents have been maintaining that the identified houses and flats had a registry certificate from Delhi government, electricity connection from a discom and MCD tax receipts, "proving" that they are legal units. Residents also demanded that action should be taken against DDA, Delhi government and police personnel who had allowed the constructions. *Residents should not bear the brunt because certain officials* had allowed the constructions, they said.

A RESIDENT SAYS

The officials took copies of the registry, stamp duty payments. They also took details of the number of flats and the geography of the area

DDA has said it plans to clear 20 acres of land in Mehrauli and the archaeological park occupied illegally. According to the agency, a "total station survey" was carried out on August 13, 2021 and the area of Mehrauli Archaeological Park was demarcated. DDA has submitted that demolition would be done only as per the demarcation report prepared in 2021 and only encroachers would be removed.

On the government's order to conduct a fresh demarcation survey, it said the decision could not be changed just because people had inhabited the area.

Encroachments removed from Yamuna floodplain near Zakir Nagar

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday carried out an anti-encroachment drive at the floodplain of the Yamuna near Zakir Nagar.

The action was taken as per the direction of National Green Tribunal, officials said. "As per an NGT order dated January 13, 2015 in case no. 06/2012 (Manoj Mishra Vs DDA & Others), all encroachments in the Yamuna floodplain area are required to be removed. In compliance with the order, the removal of temporary huts and structures at Zakir Nagar (Khasra No. 276, 366) was carried out," said an official.

Some residents had allegedly made houses and jhuggis illegally on the DDA's land. Recently, a notice was put in the area urging the residents to vacate the land.

"In the drive, about an acre of land was cleared. DDA is committed to free the floodplain from encroachments," said the official.

Manoj Misra of Yamuna Jiye Abhiyan, however, asserted that the NGT's order was about restoration of the floodbank. "The order was about restoration of the floodplain in an ecological manner and carrying no irrigation/agriculture activity related to edible crops. Rest activities like floriculture and horticulture can be done. DDA can remove the encroachments as per its provisions, but misusing the provisions of a judgment is not fair," alleged Misra. TNN

HC orders status quo on Mehrauli demolition drive till February 16

New Delhi: Delhi High Court on Wednesday ordered status quo on the demolition action by the Delhi Development Authority in Mehrauli area till February 16 while hearing three fresh petitions challenging the demolition drive. The court asked the DDA to file its response and posted the matter for hearing on Thursday.

The counsel for one of the petitioners submitted that the demolition notice was pasted on their property, but the property is not on the list of properties to be demolished.

Another single bench of Justice Mini Pushkarna ordered status quo on the demolition action in the Dera Mandi area by the forest department.

A similar matter had come up for hearing before Justice Prathiba M Singh where the counsel for the respondent department told the court that a stay had been ordered on the demolition action by the co-ordinate bench. Noting this, the court scheduled the hearing of the matter before Justice Pushkarna for Thursday.

Meanwhile, Aam Aadmi Party MLA Naresh Kumar Yadav on Wednesday withdrew his plea challenging the demolition drive, after the Delhi High Court said that the petition is in the nature of a Public Interest Litigation (PIL).

The petition stated that the demolition drive is being carried out in haste and adversely affecting over one lakh residents of the area. TNN

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times Thursday, February 16, 2023 --------DATED----------

Shelter demolished, SC tells DDA to look at rehabilitation

Abraham Thomas
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Hours after the Delhi Development Authority (DDA) demolished a shelter home in Sarai Kale Khan area as part of its drive against encroachment on the Yamuna flood plains, the Supreme Court on Wednesday agreed to consider the issue of the rehabilitation of the inmates of the home.

The matter was mentioned by advocate Prashant Bhushan, seeking a stay of the demolition action on the ground that nearly 50 inmates of the shelter home, which was maintained by the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB), were removed without providing them any alternate arrangement.

Bhushan told a bench headed by Chief Justice of India (CJI) Dhananjaya Y Chandrachud to hear and pass urgent orders. The court noticed that the application moved by Bhushan was in a pending public interest litigation (PIL) filed by Deepan Bora that was heard by a separate bench of the top court on January 20. As one of the judges present in that bench was sitting in another courtroom, the CJI-headed bench allowed the matter to be mentioned there.

BHUSHAN SAID THE DEMOLITION ORDER WAS ISSUED ON TUESDAY BY DUSIB'S EXECUTIVE ENGINEER

By the time the other bench of justices Hrishikesh Roy and Dipankar Dutta could take up the case, Bhushan told the court that the demolition had taken place. The bench said, "Nothing can be done now. We will deal with their rehabilitation."

DDA later confirmed the demolition by issuing a statement. It said, "As per the National Green Tribunal (NGT) order dated January 13, 2015, all encroachments in Yamuna flood plain area are required to be removed. In compliance of NGT order, the removal of temporary huts and structures at Zakir Nagar on Khasra No. 276, 366 has been carried out today."

Bhushan informed the court that the PIL by Bora is listed for hearing on February 22, and the court agreed to take up this issue on that date as well.

Bhushan told the court that the demolition order was issued by DUSIB executive engineer on Tuesday, and the police was required to make all necessary arrangements to facilitate the demolition action scheduled for Wednesday.

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, FEBRUARY 16, 2023

'Speed up work on Bharat Vandana Park'

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Lieutenant Governor VK Saxena on Wednesday reviewed the progress of the works at Bharat Vandana Park in Dwarka and the transit-oriented development (ToD) hub at Karkardooma in east Delhi. He directed Delhi Development Authority (DDA) officials to complete the projects ahead of schedule.

"While appreciating the progress made since my visits on site, I directed officials to complete the projects ahead of schedule without compromising quality. Efforts will be made to have the Bharat Vandana Park ready before Independence Day 2023 and first phase of ToD hub by March 2024," the LG tweeted.

"While the ToD hub will alter east Delhi's skyline and usher in more economic activities in the area, the Bharat Vandana Park will be a model of mini India. The hub at Karkardooma is aimed at seamless interplay of residential and commercial development in an extremely inclusive manner by provisioning for the economically weaker sections. At the Bharat Vandana Park, iconic monuments from all states/Union territories have been identified by authority," the LG tweeted further.

Spread over 220 acres of verdant greenery in the Dwarka sub-city, Bharat Vandana Park is being developed as a major tourist destination by the DDA. The park will be developed in the shape of a lotus.

Untapped drains to be monitored in Yamuna cleanup

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: To ensure ground-level enforcement and monitoring of all untrapped drains and sub-drains that pollute the Yamuna, a 94-member company of Territorial Army will be drafted into the river cleaning operations on Thursday.

The decision was taken on Tuesday in the second meeting of the high-level committee formed by National Green Tribunal (NGT) to oversee the implementation of its orders regarding the cleaning of the Yamuna. Lieutenant governor VK Saxena is its chairman.

During the meeting, the LG also asked the drain-owning agencies — public works department, Municipal Corporation of Delhi, Delhi Development Authority, Delhi Jal Board and Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation — to physically inspect and submit within 15 days a report on all illegal sub-drains that are not in the official records but are falling into the main drains.

According to officials, Saxena will launch an intensive cleaning operation on the river floodplain on Thursday, which will also be attended by eminent personalities and people from all walks of life. He reviewed on Wednesday the progress of work and the action-taken report on trapping of drains, desilting of sewers, status of sewage and common effluent treatment plants, redevelopment of the Yamuna floodplain and penal action against water polluting industries, among others.

"The LG was informed that since January 20, when the first meeting of the committee was held, 13 sub-drains of Najafgarh drain had been completely trapped and three kilometres of trunk and peripheral sewer lines had been fully desilted," said an official. "Eighty-eight polluting units were inspected and water and power connections of 12 were disconnected while a penalty of Rs 53 lakh had been imposed," he added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 16 फरवरी 2023

DATED

महरौली : बेघर हुए लोगों के चेहरे पर साफ दिख रही हताशा

किसी के घर में शादी, कोई पिता को दिखाने वाला था अपना घर

राम त्रिपाठी, महरौली : लड्डू सराय के टूटे घरों के मलबे में जिंदगी एकदम से सहम गई है, सन्नाटा सा छाया हुआ है। किसी की बेटी की 23 तारीख को शादी होनी है, लेकिन अब हाथों में मेहंदी की जगह घर की टूटी दीवारों की धूल दिख रही है। वहीं दो दिन बाद किसी के पिता गुजरात से अपने बेटे का खरीदा फ्लैट देखने आने वाले हैं, बेटे की मुश्किल है कि पिता को टूटा हुआ घर कैसे दिखाएंगे। बेघर हुए लोगों से बात करने पर उनके हताश व निराश चेहरों पर चिड़चिड़हट व गुस्से की लकीरें और अधिक बढ़ जाती हैं।

प्लास्टिक की पुरानी व फटी तिरपाल के सहारे बच्चों और महिलाओं के लिए छत का इंतजाम करके प्रभावित लोग खुद को दिलासा दिला रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, मगर कब और कैसे? इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है।

डीडीए की कार्रवाई में पहले ही दिन सबसे पहले निशाना बने घर के मालिक अशोक कहते हैं, 'कोई (सरकार, प्रशासन) कुछ नहीं करेगा।' प्रभावित लोग बेहद गुस्से में बोलते हैं, 'गलत रिपोर्ट के कारण हम पर हुई कार्रवाई से हुए नुकसान की भरपाई होनी चाहिए।' वॉर्ड नं.8 में अपने टूटे घर के सामने खड़े लोग कहते हैं, 'हम अमीर लोग नहीं हैं, किसी तरह 13-14 लाख में फ्लैट खरीदा था। हमारी हैसियत इतनी भी नहीं कि घर की फटाफट मरम्मत भी करा सकें।'

> हम सब पुलिस और डीडीए अधिकारियों को बताते रहे थे कि शादी है घर में, मत तोड़ो, सब खत्म हो जाएगा। अब हम बेघर हैं। मेरी शादी है और घर में पैसा नहीं। बैंक्विट हॉल, हलवाई को बुकिंग का पैसा पहले ही दिया जा चुका है, वो मिलेगा नहीं। घर ही नहीं रहा अब, तो रस्में कहां से होंगी। *-कविता*

> गुजरात से मेरे पापा पहली बार मेरा घर देखने दो दिन बाद आ रहे हैं। मेहनत करके फ्लैट खरीदता था रजिस्ट्री के साथ। खुशी होती थी यह सोचकर कि पिता अपने बेटे का दिल्ली में घर देखेंगे और अब इससे गंदा मजाक मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता। सपने टूट गए। *-पठान माजिद खान*

तीसरे दिन निशाना बने तीन घरों में से एक घर की बुजुर्ग मालकिन सितारा बेगम मांग करती हैं, 'सरकार हमारा घर बनवा कर दें।' ऐसी मांग सभी प्रभावित लोगों की है। घर के मलबे में नम आंखों से जिंदगी की तलाश करने वालों का एक ही सवाल है, 'क्या सरकार, डीडीए हमें कोई मुआवजा देगी? आधे-अधूरी डिमार्केशन रिपोर्ट के कारण हमारे घरों की दीवारों पर एक्शन से एक दिन पहले नोटिस चिपका गए थे। अब डीडीए अपनी गलतियों के बारे में भी नोटिस चिपकाएंगी?' वे बताते हैं कि सालों की मेहनत और बैंकों से कर्ज लेकर फ्लैट खरीदा था। संपत्ति की अगर रजिस्ट्री नहीं होती तो फॉरेस्ट एरिया की जगह फ्लैट नहीं खरीदते। फ्लैट खरीदने वाले दोषी नहीं हैं। लोकल एजेंसी की भ्रष्टता के कारण सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।

60 वर्ग फुट की दुकानों को भी अब हेल्थ ट्रेड लाइसेंस

डीडीए ने ऐसी हज़ारों दुकानें अलॉट की थीं

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

दशकों पहले लोकल शॉपिंग सेंटरों में खाने-पीने की चीजें बेचने के लिए डीडीए ने जिन्हें 64 वर्ग फुट या इससे छोटे आकार की दुकानें अलॉट की थीं, अब उनकी दुकानें अवैध नहीं रहेंगी। ऐसी दुकानों को वैध बनाने के लिए एमसीडी इन्हें अब हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करेंगी। छोटे साइज के इन दुकानों को लाइसेंस जारी करने के लिए एमसीडी ने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस पॉलिसी में भी बदलाव किया है। पॉलिसी में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस सिर्फ 100 वर्ग फुट या इससे बड़े आकार के दुकानों को ही जारी करने का प्रावधान है।

> दुकानों का आकार छोटा होने के चलते एमसीडी नहीं जारी करती लाइसेंस

एमसीडी अफसरों के अनुसार, दिल्ली में 100 से अधिक लोकल शॉपिंग सेंटर हैं, जिसे कभी डीडीए ने बसाया था। डेली यूज की चीजों को बेचने के लिए डीडीए ने उन मार्केटों में 64 वर्ग फुट की दुकानें भी अलग-अलग लोगों को अलॉट की थीं। लोग इन दुकानों में दूध, ब्रेड-बटर व अन्य कुछ बनी-बनाई चीजें बेचते हैं। कुछ लोग इन दुकानों में अब समोसे, बर्गर या कुछ अन्य पकी-पकाई चीजें बेंचने लगे हैं। डीडीए ने दुकानें अलॉट तो कर दीं, लेकिन डीडीए के पास ऐसी दुकानों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार नहीं है। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस सिर्फ एमसीडी ही जारी कर सकती है। लेकिन, एमसीडी ने भी इन दुकानों का लाइसेंस जारी नहीं किया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
www.livehindustan.com नई दिल्ली, गुरुवार, 16 फरवरी 2023 ----------DATED----------

भाजपा ने तोड़फोड़ के खिलाफ प्रदर्शन किया, आप ने बुलडोजर की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया

सभी दल बोले, अवैध निर्माण के जिम्मेदार अधिकारी कब नपेंगे

05 दिन बुलडोजर की कार्रवाई चली महरौली और उसके आसपास

71 अवैध निर्माण नगर निगम की टीम गिरा चुकी है इस वर्ष अबतक

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। महरौली सहित राजधानी के अन्य हिस्सों में हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर सभी दलों ने अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टियों का कहना है कि लोगों के घर तो तोड़ दिए गए, लेकिन अवैध निर्माण करवाने के जिम्मेदार अफसरों पर कब कार्रवाई होगी। निगम, डीडीए, पुलिस और दिल्ली सरकार के कई विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी अवैध निर्माण न होने देने की है।

इसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोक अभियान के अध्यक्ष विजय गोयल ने बुधवार को उपराज्यपाल से अवैध निर्माण कराने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया।

गोयल ने कहा कि पूरी दिल्ली अवैध निर्माणों से पटी पड़ी है। झुग्गी, फ्लैट को तोड़ा गया है, लेकिन अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। महरौली में 30-40 साल से लोग रह रहे हैं। खून-पसीने की कमाई से व बैंकों से लोन लेकर लोगों ने अपने आशियाने बनाए हैं। गोयल ने कहा कि एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, जिससे जनता को पता चल सके कि निर्माण अवैध है या वैध।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता विजय गोयल ने बुधवार को जंतर-मंतर पर धरना दिया। उन्होंने अवैध निर्माण के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग उठाई। • सोनू मेहता

नियमों का उल्लंघन किया : आप

नई दिल्ली, प्र.सं.। आप विधायक सोमनाथ भारती ने महरौली में तोड़फोड़ को संवैधानिक नियमों के खिलाफ बताया है। भारती ने एलजी को पत्र लिखकर उन पर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि महरौली में ध्वस्तीकरण के आदेश के लिए जो सीमांकन आधार बना, उसे सीएम और राजस्व मंत्री कैलाश गहलौत के संज्ञान में नहीं लाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एलजी की तरफ से महरौली में ध्वस्तीकरण का निर्णय संवैधानिक प्रावधानों की अवमानना था क्योंकि राजस्व कार्यालय दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने दक्षिण दिल्ली के डीएम को सीमांकन रिपोर्ट को रद्द करने का स्पष्ट आदेश जारी किया था। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद नए सिरे से सीमांकन करने का निर्देश दिया था।

पीड़ितों के लिए पुनर्वास योजना बने : सिसोदिया

नई दिल्ली। तुगलकाबाद निवासियों के पुनर्वास के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसमे पुनर्वास के लिए जमीन चिह्नित करने का काम शामिल होगा।
सिसोदिया ने कहा कि तुगलकाबाद गांव में प्रस्तावित तोड़फोड़ कार्रवाई से वहां रहने वाले लोगों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि उचित पुनर्वास के बगैर इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

मुआवजा दिया जाए : कांग्रेस

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल ने कहा है कि डीडीए और दिल्ली सरकार की गलती के कारण दशकों से महरौली में रहने वाले परिवारों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। पीड़ितों को तुरंत मुआवजा दिया जाए और अवैध निर्माण के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई हो।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

राष्ट्रीय सहारा
ई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 16 फरवरी • PAPERS

बुलडोजर पर ब्रेक

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर डीडीए को मंगलवार को दिल्ली के महरौली में पांच दिनों से चल रहे अपने बुलडोजर को रोकना पड़ा। जस्टिस मनप्रीत सिंह अरोड़ा ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया जिनमें गांव लाडो सराय में महरौली पुरातत्व पार्क के पास डीडीए के तोड़फोड़ अभियान का विरोध किया गया था। कोर्ट ने कहा कि संबंधित जमीन और संपत्तियों से जुड़े कई तरह के विवाद हैं। कोर्ट ने डीडीए से इन संपत्तियों से जुड़ी डिमार्केशन रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि जब तक सीमांकन का मुद्दा हल नहीं होता तब तक तोड़फोड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण और कच्ची बस्तियां बसना कोई आज की समस्या नहीं है। अवैध बसावट व निर्माण करने वाले, वह भी उस जमीन पर जिसका न तो उनके पास मालिकाना होता और जो पूरी तरह से सरकारी जमीन का अधिक्रमण होता है, स्थानीय निकाय और संबद्ध सरकारी

विभाग के अफसरों और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से बड़ी सहजता से निर्माण करते हैं। जब अवैध निर्माण हो रहा होता है, तब अफसर आंखें मूंदे रहते हैं। महरौली में भी साफ दिख रहा है कि डीडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डरों ने अवैध निर्माण करके मोटी रकम बनाई। खून-पसीने की कमाई से उनसे अपने आशियाने खरीदने वाले कार्रवाई का दंश झेलने को विवश हैं, और जिन्हें दंडित किया जाना चाहिए वे गायब हो चुके हैं। बिल्डर सरकारी जमीन पर कब्जा करके फ्लैट बना रहे थे और डीडीए का पूरा तंत्र खामोश था, तो उनका करा-धरा निम्न मध्यम वर्ग के लोग क्यों भोगें। उन्हें डीडीए, नगर निगम के बिल्डिंग डिपार्टमेंट और वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्ट कृत्यों की सजा क्यों मिले। यहां अवैध निर्माण कोई हाल-फिलहाल नहीं किए गए बल्कि बीते पचास साल से जारी थे। वन विभाग की जमीन पर थोड़े-थोड़े अंतराल पर डीडीए की बाउंड्री वॉल को बढ़ाते हुए अतिक्रमण किया गया। फिर वहां फ्लैट बना दिए गए। आज यहां भ्रष्टाचार और मिलीभगत से सैकड़ों अपार्टमेंट्स बन गए हैं। मजे की बात यह कि बीच-बीच में अवैध निर्माण के नाम पर नोटिस जारी करने की कार्रवाई भी जब-तब होती रही। जरूरी है कि इस पूरे घपले की जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो।

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली, गुरुवार 16 फरवरी, 2023

महरौली के पुरातत्व पार्क में तोड़फोड़ मामला

अवैध निर्माण की अनुमति देने वाले अधिकारियों के बर्खास्तगी के मांग

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

महरौली के पुरातत्व पार्क में अवैध निर्माण की अनुमति देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के बर्खास्तगी के मांग लेकर पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं लोक अभियान के अध्यक्ष विजय गोयल ने जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। गोयल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मांग की है कि वे महरौली में अनधिकृत निर्माण के जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारियों व बिल्डरों पर कार्रवाई करें। गोयल ने कहा कि उपराज्यपाल ने जिस तरीके से दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर किया है, उन्हें पूरा विश्वास है कि वे इस मामले में भी जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं।

गोयल ने कहा कि दुःख की बात तो यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। गोयल ने कहा कि पूरी दिल्ली अवैध निर्माणों से पटी पड़ी है। इन अवैध निर्माणों के जिम्मेदारी भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। छोटे या बड़े निर्माणों को तोड़ने से पहले जेई, एई, एक्सईएन, डीसी, एडीएम, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस अवैध निर्माण के जिम्मेदार हैं। पर दुःख की बात यह है कि सारी दिल्ली में अवैध निर्माण हो गए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली बृहस्पतिवार, 16 फरवरी 2023
amarujala.com

तुगलकाबाद वासियों के बचाव में आगे आई दिल्ली सरकार

उपमुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को पीड़ितों के लिए तुरंत पुनर्वास योजना तैयार करने के निर्देश दिए

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। महरौली प्रकरण से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार तुगलकाबाद गांव के निवासियों के बचाव और पुनर्वास के लिए सजग हो गई है। इस दिशा में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द पीड़ितों के लिए पुनर्वास योजना तैयार करें। उन्होंने पुनर्वास के लिए जमीन चिह्नित करने और पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए एक सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तुगलकाबाद गांव में प्रस्तावित तोड़फोड़ अभियान लंबे समय तक रहने वाले लोगों के लिए बेहद क्रूर साबित होगा और बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगों को भारी दिक्कत होगी। लिहाजा, लोगों के पुनर्वास के बिना कोई भी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि वे भूमि-स्वामित्व एजेंसी के साथ तालमेल करें। इसके अलावा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उनके वर्तमान आवास के निकटतम भूमि के टुकड़े की पहचान करें और पीड़ितों के लिए एक विस्तृत व उचित पुनर्वास योजना तैयार करें। साथ ही, उपमुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने तोड़फोड़ अभियान के तहत तुगलकाबाद गांव के 1000 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाने वाला है। इस कारण परिवार बेघर हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पुनर्वास की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, इस बाबत पीड़ितों ने हाईकोर्ट में अपील की है। हाईकोर्ट ने सभी जिम्मेदार एजेंसियों को तुगलकाबाद गांव में तोड़फोड़ के कारण विस्थापित हो रहे पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित योजना बनाने का निर्देश दिया है।

जाकिर नगर की तौबा कॉलोनी में बुधवार को अतिक्रमण हटाता डीडीए का बुलडोजर। अमर उजाला

अब जाकिर नगर में अतिक्रमण पर चला डीडीए का बुलडोजर

नई दिल्ली। डीडीए का बुलडोजर बुधवार को महरौली में नहीं चला, लेकिन जाकिर नगर में अतिक्रमण हटाए गए। यहां तोड़फोड़ करने के लिए एनजीटी ने एक मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिया था। डीडीए के अनुसार, मनोज मिश्रा ने यमुना के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र में सभी अतिक्रमण हटाने के लिए एनजीटी में याचिका दायर की थी। एनजीटी ने सुनवाई के दौरान दिए आदेश में जाकिर नगर में खसरा संख्या 276 व 366 से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। इस आदेश के तहत अतिक्रमण हटाया गया। डीडीए ने यहां पर अस्थायी झोपड़ी और ढांचे हटाने का कार्य किया। डीडीए की कार्रवाई का विरोध करने के लिए इलाके के लोग एकत्रित हुए, लेकिन पुलिस बल मौजूद होने के कारण वे तोड़फोड़ की कार्रवाई में बाधा नहीं डाल सके। हालांकि, उन्होंने जमकर नारेबाजी की। ब्यूरो

जंतर-मंतर पर भाजपा का धरना

नई दिल्ली। भाजपा ने महरौली में अनधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व बिल्डरों पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने जंतर-मंतर पर धरना दिया। इस मौके पर उन्होंने उपराज्यपाल विनय से मांग की है कि वे भ्रष्ट अधिकारियों व बिल्डरों पर कार्रवाई करें। गोयल ने कहा कि उपराज्यपाल ने जिस तरीके से दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया है, उन्हें पूरा विश्वास है कि वे इस मामले में भी जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे। दुख की बात तो यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री का काम है कि वह एमसीडी, डीडीए, दिल्ली सरकार के बीच समन्वय का काम करें और दिल्ली के विकास व सौंदर्यीकरण पर ध्यान दे। सत्ता में आने के लिए वे तरह-तरह के हथकंडे जो आजमाए, लेकिन दिल्ली की जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे। ब्यूरो

71 अनधिकृत निर्माण ध्वस्त 41 संपत्तियां की गई सील

अतिक्रमण हटाती निगम की टीम।

नई दिल्ली। नगर निगम ने बुधवार को दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में 71 अनधिकृत निर्माण ध्वस्त किए और 41 संपत्तियों को सील कर दिया। सैदुलाजाब, खिड़की एक्सटेंशन, पंचशील विहार, नेब सराय, पेटर कैलाश-1 व 2, मालवीय नगर, छतरपुर, फ्रीडम फाइटर एन्क्लेव और महरौली में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाकर सीलिंग की गई। निगम के दक्षिणी क्षेत्र के भवन निर्माण विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई। निगम के मुताबिक, विभाग क्षेत्र में नियमित रूप से निगरानी कर रहा था। यहां बेईमान बिल्डरों द्वारा किए जा रहे अनधिकृत निर्माण को चिह्नित किया गया था। नियम कानून के खिलाफ यहां बिल्डरों ने लोगों को कम दाम पर अधिक क्षेत्रफल वाले फ्लैटों का लालच देकर अवैध निर्माण कराया था, जिसके खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। हालांकि, कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर निगम के दस्ते को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ब्यूरो

महरौली तोड़फोड़ मामले में गरमाई सियासत

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। आप ने महरौली तोड़फोड़ मामले में उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। आप विधायक सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि तोड़फोड़ सांविधानिक नियमों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन था।

इसके अलावा उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री और आप सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की, जबकि आप ने पहले ही दिन गलत सीमांकन का मामला उठाया था। इसके बावजूद उपराज्यपाल ने मकानों को गिराने का फैसला किया और उन्होंने बाद में उसी दस्तावेज के आधार पर ध्वस्तीकरण रोका।

आप विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि महरौली में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को बेघर करने के लिए उपराज्यपाल जिम्मेदार हैं। लिहाजा ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोगों को टेंट और उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने इन सब बातों के संबंध में उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा है। इसके अलावा उन्होंने उपराज्यपाल के यहां से जारी पेम विज्ञप्ति को निंदा की।

सांविधानिक नियमों व सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन : सोमनाथ

महरौली के पीड़ितों को मुआवजा मिले : कांग्रेस

नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महरौली के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष चौ अनिल कुमार ने बुधवार को कहा कि डीडीए और केजरीवाल सरकार की गलती के कारण 30-40 वर्षों से महरौली में रह रहे लोग घरों से वंचित हो गए, जबकि हाईकोर्ट व उपराज्यपाल ने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद पांच दिन तक तोड़फोड़ हुई। इस कारण पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता महरौली में बेघर हुए लोगों की बेबस स्थिति पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जबकि इसके लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। दिल्ली सरकार की ओर से गलत पैमाइश करने के कारण रजिस्ट्री वाली जमीन पर तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, महरौली में नए सिरे से पैमाइश का काम पूरा किया जाए और तब तक कार्रवाई पर रोक लगी रहनी चाहिए। ब्यूरो

पुनर्वास पर विचार करना होगा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सराय काले खां में एक रैन बसेरे को ध्वस्त करने की सूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अब पुनर्वास के प्रश्न पर विचार करना होगा। वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस कृष्णकरण रॉय और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और कहा, हालांकि की प्रक्रिया साढ़े 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन अथॉरिटी ने इसे 10 बजे ही आरंभ कर दिया और रैन बसेरे को ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो

वकीलों ने केंद्र-एलजी के खिलाफ खोला मोर्चा

तीस हजारी अदालत से उपराज्यपाल निवास तक निकाला मार्च

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। राजधानी के वकीलों ने केंद्र और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया।

वकीलों ने तीस हजारी कोर्ट से उपराज्यपाल निवास तक विरोध मार्च निकाला और एलजी को तुरंत पद से हटाने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश व संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगते हुए चेतावनी दी कि यदि दिल्ली सरकार के खिलाफ अपना अभियान बंद नहीं किया तो देशभर के वकील संसद के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। आप लीगल सेल के अध्यक्ष एडवोकेट संजीव नसीयर के नेतृत्व में मार्च का आयोजन किया गया। वकीलों को संबोधित करते हुए नसियार ने कहा कि कई साल से वकील बिल्कुल शांत बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार को एलजी साहब तंग कर रहे है और जनकल्याण की योजनाएं रोक रहे हैं, उसके विरोध में हमलोग आज सड़क पर उतरे हैं। हमारी मांग है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए एलजी साहब संविधान और कानून के हिसाब से काम करें। भारतीय जनता पार्टी का औजार न बनें।

संविधान के उल्लंघन का लगाया आरोप, उपराज्यपाल को हटाने की मांग

'गांवों के विकास में तेजी लाएं अधिकारी'

नई दिल्ली। विकास मंत्री गोपाल राय ने गांवों के विकास कार्यों को गति देने के लिए सचिवालय में ग्राम विकास बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं और लंबित प्रस्तावों को जल्द पूरा करने के आदेश दिए। इस मौके पर विकास मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम विकास से संबंधित कार्य को तय सीमा के भीतर पूरा करें। इसके अलावा उन्होंने पिछली बैठक की प्रगति के बारे में जानकारी ली। ब्यूरो

महरौली मामले पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाए सरकार : बिधूड़ी

नई दिल्ली। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने महरौली तोड़फोड़ मामले में विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह सत्र इस शर्त के साथ बुलाया जाए कि इसमें विपक्ष को भी बोलने की आजादी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सत्र का सीधा प्रसारण भी किया जाए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने माना है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों से सर्वे में गलती हुई।

राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दें इस्तीफा

इसीलिए अब दोबारा सर्वे का आदेश दिया गया है। अधिकारियों की गलती के कारण लोगों को उजड़ना पड़ा है तो यह सिर्फ अधिकारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि मंत्री भी नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं।

दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत को भी तत्काल अपने पद से इस्तीफा देकर गलती स्वीकार करनी चाहिए। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com

NAME OF NEWSPAPERS--DA नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 16 फरवरी 2023

यमुना में प्रदूषण रोकने के लिए प्रादेशिक सेना की तैनाती

सफाई के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक, एलजी की पहल पर 29 साल बाद कायाकल्प का सपना होगा पूरा

अमर उजाला ब्यूरो

12 इकाइयों पर 55 लाख का जुर्माना

समिति की पहली बैठक के बाद 88 जल प्रदूषणकारी इकाइयों का निरीक्षण किया गया। इनमें प्रदूषण के लिए जिम्मेवार 12 इकाइयों के पानी और बिजली के कनेक्शन काटने सहित उनपर 53 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस दौरान कार्यों की शुरुआत से पहले और बाद की वीडियो भी एलजी को प्रदर्शित की गई। अधिकारियों ने उपराज्यपाल को बताया कि अब तक नजफगढ़ नाले के 17 किलोमीटर हिस्से की सफाई की जा चुकी है और इनमें से 1.2 लाख घन मीटर गाद निकाला गया है।

नई दिल्ली। यमुना की सफाई के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीवर की डी सिल्टिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीटीपी) समेत नालों की स्थिति, बाढ़ के मैदानों के पुनर्विकास और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर शिकंजा कसने के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई।

सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की लगातार निगरानी के बावजूद पिछले 29 वर्षों से लंबित यमुना की सफाई और कायाकल्प की शुरुआत एलजी की पहल पर हुई है। यमुना के प्रदूषण को रोकने और निगरानी के लिए पहली बार प्रादेशिक सेना की तैनाती की जाएगी।

उच्चस्तरीय समिति की बैठक के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना बृहस्पतिवार को यमुना के बाढ़ के मैदानों के लिए गहन सफाई अभियान शुरू करेंगे। इसमें सभी क्षेत्रों के गणमान्य लोग शामिल होंगे। एलजी इस मौके पर पहली बार यमुना सफाई अभियान में प्रादेशिक सेना का मसौदा तैयार करेंगे। प्रादेशिक सेना की 94 सदस्यीय कंपनी यमुना को प्रदूषित करने वाले सभी नालों और उप-नालों की जमीनी स्तर पर निगरानी करेगी।

एलजी ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट : यमुना नदी के कायाकल्प के लिए एनजीटी के आदेश पर उच्चस्तरीय समिति गठित की गई। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने नालों की देखरेख और स्वामित्व रखने वाली एजेंसियों (पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, डीजेबी, डीएसआईआईडीसी) को मौके पर जाकर निरीक्षण के बाद 15 दिनों के भीतर उन सभी अवैध उप-नालों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। अब तक यह सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। बैठक में अधिकारियों ने एलजी को जानकारी दी कि नजफगढ़ ड्रेन के 13 उप नालों को फंसाने सहित 3.03 किलोमीटर के दायरे की सीवर लाइन को पूरी तरह गाद मुक्त कर दिया गया है।

परियोजना में कोताही बर्दाश्त नहीं : नालों को ट्रैप करने, सीवर लाइन से गाद निकालने, अनाधिकृत रिहायशी कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क और जेजे क्लस्टर में ड्रेनेज संबंधित कार्यों की प्रगति और अगले 6 माह में सभी सभी प्रमुख उप नालों से होने वाले प्रदूषण को रोकने का काम पूरा कर लिया जाएगा। एलजी ने एजेंसियों को निर्धारित समय-सीमा में सख्ती से मानकों के मुताबिक कार्यों को पूरा करने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि परियोजना को लागू करने में किसी तरह की कोताही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सितंबर तक पूरे होंगे काम

- नजफगढ़ ड्रेन के 13 उप नाले पूरी तरह से ट्रैप किए गए
- बारापुला, महारानी बाग और मोरी गेट ड्रेन को ट्रैप करने का काम सितंबर तक पूरा किया जाएगा। इससे यमुना में प्रवाहित होने वाले 48.14 एमजीडी सीवेज की जांच की जाएगी।
- सितंबर तक पेरिफेरल सीवर लाइन की 200 किलोमीटर के दायरे को गाद मुक्त कर लिया जाएगा। 90 किलोमीटर की सीवर लाइनों को जून तक डी-सिल्ट किया जाएगा।
- नजफगढ़ ड्रेन के तिमारपुर से ख्याला तक 17 किलोमीटर की दूरी को साफ किया गया है।
- 573 कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क डालने का काम चल रहा है। इनमें 264 कॉलोनियों में जून तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा जबकि शेष 70 कॉलोनियों में सितंबर तक पूरा किया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 16 फरवरी • 2023 राष्ट्रीय सहारा

आप की लीगल सेल ने किया एलजी हाउस का घेराव

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय राजधानी की आम आदमी पार्टी (आप) की लीगल सेल के वकीलों ने मेयर चुनाव बार-बार टालने पर बुधवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया।

आप की लीगल सेल के अध्यक्ष एडवोकेट संजीव नसीयर ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सभी जनकल्याण की योजनाएं रोक रहे हैं, उसके विरोध में हमलोग सड़क पर उतरने के लिए विवश हुए हैं। हमारी मांग है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराज्यपाल संविधान और कानून के हिसाब से काम करें। भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) का औजार न बनें। अगर दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा और उपराज्यपाल का इसी तरह का रुख रहेगा, तो इसके खिलाफ वकील लोकतांत्रिक तरीके से सड़क और कोर्ट दोनों जगह लड़ेंगे।

■ हमारी मांग है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराज्यपाल संविधान और कानून के हिसाब से काम करें : संजीव नसीयर, अध्यक्ष लीगल सेल - आप

■ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वकील लोकतांत्रिक तरीके से सड़क और अदालत दोनों जगह लड़ेंगे

संविधान का अनुपालन करें : प्रदर्शन में शामिल वकीलों का कहना है कि अगर भाजपा और उपराज्यपाल ने संविधान को किनारे कर सरकार चलाई तो भारत के सारे वकील इकट्ठे होकर उन्हें भी किनारे लगा देंगे। उन्होंने कहा दिल्ली के उपराज्यपाल को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए लेकिन जिस दिन से श्री सक्सेना ने उपराज्यपाल पदभार संभाला है, उसी दिन से वह किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। वह संविधान, एमसीडी एक्ट, दिल्ली बिजनेस ट्रांजेक्शन रूल कुछ भी नहीं मानते हैं।

बेवजह दखलंदाजी : उन्होंने कहा कि इस बार मेयर चुनाव में उपराज्यपाल ने दखलअंदाजी करके भाजपा के 10 मनोनीत पार्षद बनाए। उन्हें जबरदस्ती वोट डालने का अधिकार दिया। इसे लेकर जब मेयर प्रत्याशी डा. शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी और प्रोटेम स्पीकर गलत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनोनीत पार्षद को वोट डालने से रोका। यही स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में भी देखी गई। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने का फैसला किया है, तो उपराज्यपाल ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके शिक्षकों की ट्रेनिंग रोक दी। लीगल सेल के वकीलों ने दिल्ली के उपराज्यपाल को बदलने की मांग की।

सरायकाले खां में बुधवार को अतिक्रमण ढहाता डीडीए का बुलडोजर। फोटो : प्रेट

जाकिर नगर में चला डीडीए का बुलडोजर

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बुधवार को ओखला के जाकिर नगर स्थित तौबा कालोनी में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। डीडीए का कहना है कि अतिक्रमण निर्माण के खिलाफ यह अभियान एनजीटी के आदेश पर चलाया गया। मनोज मिश्रा बनाम डीडीए समेत एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने अनधिकृत निर्माण को हटाने का आदेश दिया था। यह कार्रवाई खसरा नंबर 276 एवं 366 पर बने अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध की गयी।

■ एनजीटी के आदेश पर कार्रवाई: डीडीए

■ यह इलाका यमुना डूब क्षेत्र में आता है जहां किसी तरह का निर्माण अवैध है

डीडीए के मुताबिक यह इलाका यमुना नदी के डूब क्षेत्र में आता है। एनजीटी ने आदेश में कहा था कि यमुना नदी के डूब क्षेत्र में किसी तरह का निर्माण नहीं रहना चाहिए। डीडीए के अधिकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय में यमुना डूब क्षेत्र में तेजी से अनधिकृत निर्माण हुआ है। उपरोक्त खसरा नंबर मकान एवं झोपड़ी आदि थीं, जिन्हें हटा दिया गया। यह इलाका मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के कॉरिडोर के लिए अधिकृत क्षेत्र में आता है। उल्लेखनीय है कि बीते कई दिनों से डीडीए की यह कार्रवाई लाडो सराय में चल रही थी। जाकिर नगर के अलावा सराय काले खां के समाने यमुना किनारे की जमीन पर बने दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड(डूसिब) के एक रैन बसेरों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। डूसिब के इस रैन बसेरे को 2014 में बनाया गया था। खासबात यह है कि इस रैन बसेरे को लेकर बुधवार को न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायालय की सुनवाई से पहले ही रैन बसेरे को हटा दिया गया। इस तोड़-फोड़ के लिए डूसिब ने डीडीए पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।

तोड़फोड़ मामले में जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई हो : विजय गोयल

नई दिल्ली (एसएनबी)। दक्षिणी दिल्ली के लाडो सराय में हुई तोड़फोड़ के मामले की जांच कराने की मांग को लेकर भाजपा नेता विजय गोयल ने बुधवार को जंतर-मंतर पर धरना दिया। उन्होंने उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से इस अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेता के संगठन लोक अभियान के बैनर पर आयोजित इस धरने पर काफी लोग बैठे। भाजपा नेता ने धरने पर बैठे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उप-राज्यपाल ने जिस तरीके से दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया है, उन्हें पूरा विश्वास है कि इस मामले में जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। गोयल ने कहा कि दुख की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद को दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वह एमसीडी, डीडीए, दिल्ली सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर काम करें और दिल्ली के विकास व सौंदर्यीकरण पर ध्यान दें। पूरी दिल्ली अनधिकृत निर्माण से पटी पड़ी है, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी मौज ले रहे हैं। छोटा और बड़ा किसी तरह के अनधिकृत निर्माण को गिराने से पहले संबंधित जेई, एई, कार्यकारी अभियंता, डीसी, एडीएम, एसडीएम के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।

■ मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वह एमसीडी, डीडीए, दिल्ली सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर काम करें : गोयल

उन्होंने कहा कि 30-40 सालों से लोग यहां रह रहे हैं। अपने खून-पसीने की कमाई एवं बैंकों से कर्ज लेकर लोगों ने अपने आशियाने बनाए हैं। दिल्ली सरकार इसकी हकीकत में जाने के बजाए, उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चलवा रही है। इसके लिए एक सिंगल विंडो प्रणाली विकसित होनी चाहिए, जिससे आम आदमी का तत्काल पता चल सके कि यह जमीन किसकी है और यह मौजूदा समय में किसके कब्जे में है।

पीड़ितों को तत्काल न्याय और मुआवजा मिले : चौ : अनिल

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने महरौली में चले बुलडोजर से बेघर हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने और मुआवजे देने की मांग है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा गलत डिमार्केशन के कारण रजिस्ट्री वाली जमीन पर तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकारी विभागों की गलती का भुगतान जनता क्यों भुगते। बेघर हुए लोगों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए डीडीए तुरंत उनके मकानों को बनाने के लिए मुआवजा दें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी DELHI 16 फरवरी, 2023 ▶ गुरुवार

जाकिर नगर में चला डीडीए का बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का एक्शन लगातार जारी है। महरौली इलाके में बीते पांच दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब बुधवार को ओखला विधानसभा क्षेत्र के जाकिर नगर में डीडीए द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ पुलिस बल की मौजूदगी में करवाई की गई है। 15 फरवरी को डीडीए का दस्ता ओखला विधानसभा क्षेत्र के जाकिर नगर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंचा। इस कार्रवाई के मद्देनजर भारी पुलिस बल को भी बुलाया गया और उसकी उपस्थिति में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान जेसीबी की मदद से कई अवैध घरों को तोड़ा गया। इस सबध में डीडीए ने एक बयान जारी कर कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के 13 जनवरी 2015 के एक आदेश के अनुपालन में केस नंबर 06/2012 (मनोज मिश्रा बनाम डीडीए व अन्य) यमुना के बाढ़ मैदानी क्षेत्र में हुए सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता है। एनजीटी के आदेश के अनुपालन में ही बुधवार को जाकिर नगर में खसरा संख्या 276, 366 पर अस्थायी झोपड़ियों और ढांचों को हटाने का कार्य किया गया। गौरतलब है कि बीते एक हफ्ते से लगातार राजधानी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मुद्दा गर्माया हुआ है। इस मामले को लेकर आप और भाजपा आमने-सामने हैं, दोनों पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने जहां भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव में हार का बदला लेने के लिए भाजपा दिल्लीवासियों के साथ ऐसा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इस पूरे प्रकरण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेवार ठहराया है। यहां बता दें कि पांच दिनों तक चले अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद महरौली इलाके में मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को रोक दिया गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इलाके में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोकने के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने अपने आदेश में डीडीए को तुरंत इस कार्रवाई को रोकने को कहा था।

जाकिर नगर में अवैध निर्माण को हटाता बुलडोजर।

डीडीए ने सराय काले खां में रैन बसेरे को किया ध्वस्त... दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सराय काले खां में एक रैन बसेरे को बुधवार को नष्ट कर दिया। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के सूत्रों ने बताया कि इलाके में मेट्रो गलियारे का निर्माण प्रस्तावित है और इसी के मद्देनजर ध्वस्तीकरण कीप्रक्रिया की गई। सूत्रों ने कहा कि, 'डीयूएसआईबी को दो से तीन सप्ताह पहले इस कार्रवाई के बारे में सूचित कर दिया गया था। इलाके में एक मेट्रो गलियारा बनाया जा रहा है, इसलिए यह फैसला किया गया। सराय काले खां में रैन बसेरे के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इलाके में पुलिसकर्मियों को तैनात किया व अवरोधक लगाए गए।

निगम ने 71 मकानों को किया ध्वस्त, 41 पर की सीलिंग

नई दिल्ली, (पजाब केसरी) : दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी क्षेत्र जोन टीम ने विभिन्न क्षेत्रों ममें अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। टीम ने करीब 71 अनधिकृत मकानों को ध्वस्त किया है और करीब 41 मकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सैदुलाजाब, खिडकी एक्सटेंशन, पंचशील विहार, नेब सराय, ग्रेटर कैलाश 1,ग्रेटर कैलाश 2, मालवीय नगर, छतरपुर, फ्रीडम फाइटर एन्क्लेव और महरौली इत्यादि स्थानों पर अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण सीलिंग की कार्रवाई की गई। निगम के दक्षिणी क्षेत्र के भवन निर्माण विभाग द्वारा क्षेत्र में नियमित रूप से निगरानी की जा रही थी एव बेईमान बिल्डरों द्वारा किए जा रहे अनधिकृत निर्माण को चिन्हित किया गया था। इन बेईमान बिल्डरों ने विभिन्न कानूनों का उल्लंघन कर एव जनता को कम दामों पर अधिक अच्छादित क्षेत्रफल वाले फ्लैटों का लालच दिया। बेईमान बिल्डरों द्वारा अवैध निर्माण गतिविधियों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई की गई है। तोड़- फोड़ की कार्रवाई के पश्चात इन भवनों को दोबारा इस्तेमाल या निर्माण के लायक नहीं छोड़ा गया है। कुछ अवसर पर निगम के दस्ते को इन अनधिकृत भवनों के मालिकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा जिन्होंने तोड़-फोड़ की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की, किंतु ध्वस्तीकरण दस्ते ने इन सभी बाधाओं की परवाह न करते हुए सफलता से इस कार्रवाई को पूरा किया। दिल्ली नगर निगम आने वाले समय में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तेजी लाएगा। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सभी निर्माण कार्यों को मास्टर प्लान 2021 एवं एकीकृत भवन निर्माण उपनियम 2016 के अनुरूप सुनिश्चित करना है। जिसमे शहर में किए जाने वाले निर्माण कार्यों से संबधित सभी नियम अधिसूचित किए गए हैं। धवस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्रवाई के द्वारा सभी बेईमान भवन निर्माताओं को चेतावनी दी गई है कि वे डीएमसी एक्ट 1957, मास्टर प्लान 2021 एवं एकीकृत भवन निर्माण उपनियमों 2016 का पालन करें।

तोड़फोड़ को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

नई दिल्ली, (पजाब केसरी): पूर्व केन्द्रीय मत्री एवं लोक अभियान के अध्यक्ष विजय गोयल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मांग की है कि वे महरौली में अनधिकृत निर्माण के जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारियों व बिल्डरों पर कार्रवाई करें। इस मांग को लेकर गोयल ने बुधवार को जन्तर-मन्तर पर सैंकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। गोयल ने कहा कि उपराज्यपाल ने जिस तरीके से दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर किया है, उन्हें पूरा विश्वास है कि वे इस मामले में भी जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का काम है कि वह एमसीडी, डीडीए, दिल्ली सरकार के बीच समन्वय का काम करें और दिल्ली के विकास व सौंदर्यीकरण पर ध्यान दें। मगर दुख की बात तो यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। दिल्ली अवैध निर्माणों से पटी पड़ी

है, लेकिन इन अवैध निर्माणो के लिए जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। छोटे या बड़े निर्माणों को तोड़ने से पहले जेई, एई, एक्समईएन, डीसी, एडीएम, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि इस अवैध निर्माण के जिम्मेदार हैं। गोयल ने कहा पिछले 30-40 साल से यहां लोग रह रहे हैं और अपने खून-पसीने की कमाई से व बैंकों से लोन लेकर लोगों ने अपने आशियाने बनाए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि जमीन निजी है या सरकारी या निर्माण वैध है या अवैध। उन्होंने कहा कि एक सिंगल विंडो सिस्टम भी बनना चाहिए जिससे आम जनता को तुरन्त पता चल सके कि जमीन सरकारी है या निजी, निर्माण वैध है या अवैध और बिल्डर के पास लाइसेंस है या नहीं।

गहलोत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दें इस्तीफा

महरौली डेमोलिशन के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह जिम्मेदार: बिधूड़ी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने महरौली में तोड़फोड़ के मामले पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि यह सत्र इस शर्त के साथ बुलाया जाए कि इसमें विपक्ष को भी बोलने की आजादी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सत्र का सभी चैनलों पर सीधा प्रसारण भी किया जाए ताकि सारी सच्चाई जनता के सामने आ सके। बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्वयं ही मान लिया है कि उसके राजस्व विभाग के गलत सर्वे के कारण ही ऐसी स्थिति पैदा हुई कि महरौली में यह अभियान चलाया गया। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने स्वयं ही मान लिया है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के सर्वे में गलती हुई। इसके लिए दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत को भी तत्काल अपने पद से इस्तीफा देकर गलती स्वीकार करनी चाहिए। नेता विपक्ष ने कहा कि महरौली के मामले में दिल्ली सरकार का दोहरा चरित्र भी उजागर हो गया है। एक तरफ दिल्ली सरकार के अधिकारियों के गलत सर्वे से ही मकान गिराए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता उजाड़े गए लोगों के साथ खड़े होकर घड़ियाली आंसू भी बहा रहे हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | THURSDAY, 16 FEBRUARY, 2023 ----------DATED----------

L-G indulging in politics, trying to malign CM's image: AAP MLA on Mehrauli & Ladha Sarai demolition drive

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: A day after Delhi Lt Governor VK Saxena directed authorities to stop an anti-encroachment drive citing "anomalies" in land demarcation by the AAP government, party MLA Somnath Bharti on Wednesday accused him of "indulging in politics" and trying to "malign" Chief Minister Arvind Kejriwal's image.

On the fifth day of the drive on Tuesday, Saxena directed the Delhi Development Authority (DDA) to stop demolitions in Mehrauli and Ladha Sarai villages till further instructions

In a letter to the Lt Governor (L-G), Bharti, who is a member of the DDA, criticised him for issuing a statement claiming that flawed land demarcations was due to the Aam Aadmi Party (AAP) government.

He also requested the L-G to get the victims reinstated at locations from where they have been uprooted without any further delay.

The Raj Niwas on Tuesday had said: "The L-G directed the Vice Chairman, DDA, and the local administration to immediately stop the demolition drive and assured the residents that their grievances would be looked into and the anomalies, as pointed out by them, would be examined". The AAP MLA said that in "reality the demarcation which became the basis of the demolition order was neither shared with the office of Chief Minister Arvind Kejriwal nor with the office of Revenue Minister Kailash Gahlot".

"Any direction given on an issue being/to be dealt by the Revenue Office issued by Chief Minister of Delhi and/or his cabinet cannot be disrespected by the executives and any deviation from this will amount to dereliction of duty and contempt of Supreme Court of India," Bharti said in his letter.

"This I am saying so because in spite of a categorical order, issued by none less than Revenue Minister Kailash Gahlot, cancelling the demarcation report and directing the DM South to undertake the fresh demarcation after inviting suggestions/objections from the people residing on these lands was not given any heed to and rather Minister had to issue another letter demanding explanation from DM South on inaction on his order," he said.

Bharti said he requests Saxena to investigate this "serious breach of transaction of business rules, Govt. of NCT of Delhi Act, Constitution of India and various judgments of Hon'ble Supreme Court of India and punish the officials guilty of this severe dereliction".

On the L-G's statement issued on Tuesday, the AAP leader said that "such an attempt was surely political from your office with the sole intent to malign the clean image of Arvind Kejriwal ji and Aam Aadmi Party government".

He thanked the L-G for directing the DDA to stop the demolition in Mehrauli and Ladha areas, till further instructions.

the pioneer
NEW DELHI | THURSDAY | FEBRUARY 16, 2023

Squatters on Yamuna floodplain in Zakir Nagar evicted, says DDA

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Temporary huts and other structures built illegally on Yamuna floodplain areas at Zakir Nagar were removed on Wednesday, in compliance with a National Green Tribunal order, Delhi Development Authority (DDA) officials said. About an acre of land was reclaimed, a senior official said.

"As per Hon'ble NGT (National Green Tribunal) order dated 13.01.2015 in case no. 06/2012 (Manoj Mishra Vs DDA & Others) all encroachments in Yamuna Flood Plain area are required to be removed.

"In compliance of NGT order, the removal of temporary huts & structures at Zakir Nagar on Khasra No. 276, 366 has been carried out today," the Delhi Development Authority (DDA) said in a statement. Earlier, the DDA demolished a shelter home in southeast Delhi's Sarai Kale Khan. Sources in the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) said the demolition drive was conducted to make way for a proposed metro corridor in the area.

"DUSIB was informed about the drive around two to three weeks ago. The decision was taken as a metro corridor is being built in the area," the sources said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | THURSDAY, 16 FEBRUARY, 2023
DATED

AHEAD OF TUGHLAKABAD DEMOLITION DRIVE

Identify land for displaced people: Sisodia to official

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Deputy Chief Minister Manish Sisodia has directed Chief Secretary Naresh Kumar to identify land for the rehabilitation of displaced people ahead of a proposed demolition drive in the Tughlakabad Fort area, an official statement said.

The Archaeological Survey of India (ASI) intends to demolish over a thousand houses in Tughlakabad village as part of its demolition campaign, it alleged in the statement.

There was no immediate reaction available from the ASI.

Sisodia has asked Kumar to identify land for the rehabilitation of those affected, urgently prepare a proper plan and submit a status report within a week, the government said in the statement.

"The proposed demolition drive in Tughlakabad village by the Archaeological Survey of India, a central government agency, will prove extremely cruel to the people living in that area for a long time and will have a very adverse impact on the people.

"The elderly, children, women, and disabled individuals there will be particularly impacted by it. The Delhi government asserts that no demolition should take place in such a circumstance without ensuring adequate rehabilitation first," the statement quoted Sisodia as saying.

The deputy chief minister directed Kumar to coordinate with the land-owning agency (ASI), identify land closest to the current location and prepare a detailed rehabilitation plan to allocate it to the people affected.

"The chief secretary has been asked to submit the status report within a week," the statement added.

Due to the demolition drive, thousands of families living in these houses will be rendered homeless, it noted.

The residents have already filed an appeal in this regard in Delhi High Court, which directed all stakeholder agencies to make a proper plan for the rehabilitation of the displaced.

A political slugfest has erupted in the national capital over a Delhi Development Authority demolition drive in the Mehrauli Archaeological Park area. On Tuesday, Lt Governor VK Saxena directed the DDA to stop the drive, five days after the exercise began.

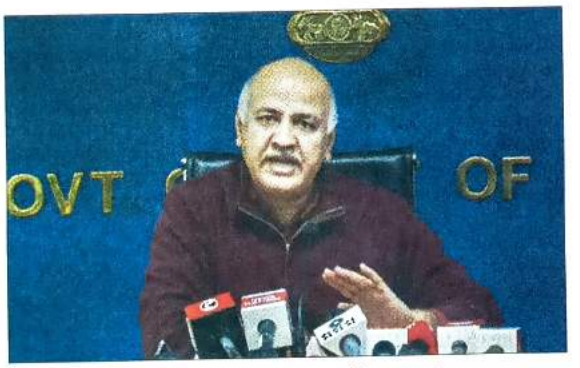

Highlights

- 'The Archaeological Survey of India (ASI) intends to demolish over a thousand houses in Tughlakabad village as part of its demolition campaign'
- Sisodia has asked Chief Secretary to identify land for the rehabilitation of those affected, urgently prepare a proper plan and submit a status report within a week
- 'The proposed demolition drive in Tughlakabad village by the ASI, a central government agency, will prove extremely cruel to the people living in that area for a long time and will have a very adverse impact on the people'
- There was no immediate reaction available from the ASI

'Temporary structures removed from parts of Yamuna floodplain'

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Temporary huts and other structures built illegally on Yamuna floodplain areas at Zakir Nagar were removed on Wednesday, in compliance with a National Green Tribunal order, officials said.

About an acre of land was reclaimed, a senior official said.

"As per Hon'ble NGT (National Green Tribunal) order dated 13.01.2015 in case no. 06/2012 (Manoj Mishra Vs DDA & Others) all encroachments in Yamuna Flood Plain area are required to be removed.

"In compliance of NGT order, the removal of temporary huts & structures at Zakir Nagar on Khasra No. 276, 366 has been carried out today," the Delhi Development Authority (DDA) said in a statement.

Earlier in the day, a shelter home in southeast Delhi's Sarai Kale Khan was removed by authorities. Delhi Urban Shelter Improvement Board sources said the action was taken to make way for a proposed metro corridor in the area.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU Thursday, February 16, 2023 DELHI
...S------------------------------------DATED--------------

Night shelter razed in DDA's drive against encroachments in city

Shelter demolished to make way for G-20 meeting venue, states petition in SC; structure removed only after approval from DUSIB, says member

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) carried out anti-encroachment drives at multiple locations in the city, including Sarai Kale Khan and Zakir Nagar, on Wednesday.

Among the structures removed by the agency was a night shelter built by the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) in Sarai Kale Khan.

Night shelter number 235 at Sarai Kale Khan being razed during a demolition drive on Wednesday. SHIV KUMAR PUSHPAKAR

While the urban body did not comment on the demolition of night shelter number 235, a DUSIB member said that the DDA had demolished the structure only after getting consent from the Board. The member added that the night shelter would be relocated to a different spot in Sarai Kale Khan.

Advocates Prashant Bhushan and Cheryl D'Souza moved the Supreme Court on Wednesday morning to prevent the demolition of the shelter. However, the shelter had been razed by the time the case came up for hearing before the concerned Bench. The Bench said there was nothing more to consider except the rehabilitation of the shelter's inmates and posted the case for hearing later in the month. Mr. Bhushan's petition stated that DUSIB floated the proposal to remove the shelter without making any alternative arrangements for its inhabitants and that Delhi Police had also recommended razing the shelter, claiming that it had become a den for criminals.

It added that the DDA wanted to raze the shelter to make way for a bamboo garden – 'Baansera' – where one of the G-20 meetings is scheduled.

Sunil Kumar Aledia, a founding member of the Centre for Holistic Development, an NGO working for the homeless, said, "If they wanted to seize the land, they should have relocated the night shelter first. There was no need to demolish the structure."

पंजाब केसरी
DELHI

डेमोलिशन ड्राइव रोकने के लिए केंद्र को पत्र

राजधानी में चल रही डेमोलिशन ड्राइव को रोकने के लिए दिल्ली के उप राज्यपाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल व केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसे तुरंत रोकने की मांग की गई है। जिसे झुग्गी बस्ती में रहने वाले लाखों लोग ठंड के मौसम में बेघर न हो। यह पत्र कांग्रेस नेता पूर्व जिलाध्यक्ष व पूर्व प्रत्याशी वजीरपुर विधानसभा हरी किशन जिंदल ने लिखा है। जिंदल ने बताया कि वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, शालीमार बाग व महरौली में कभी पार्क बनाने के नाम पर तो कभी अतिक्रमण की आड़ में डीडीए, एमसीडी और रेलवे द्वारा लोगों को बेघर किया जा रहा है। उनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही है। जिंदल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय से झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए दिल्ली के जेलरवाला बाग वजीरपुर, भलस्वा, कठपुतली कॉलोनी, कालका जी, घोगा, नरेला और बवाना व अन्य जगहों पर लाखों फ्लैट बनाए गए थे लेकिन उन्हें आज तक लोगों को आवंटन नहीं किया गया। जिससे वह फ्लैट अब जर्जर होने की कगार पर है। सरकार झुग्गीवासियों को यह फ्लैट आवंटन करें, उसके बाद झुग्गियां तोड़ने को कार्य करें। अपनी उन्ही मांगों के साथ उन्होंने दिल्ली के उप राज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री व केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसे तुरंत रोकने की मांग की है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
DATED
NEW DELHI | THURSDAY | FEBRUARY 16, 2023

SC to hear plea for rehab of razed night-shelter's inmates

PNS ■ NEW DELHI

The Supreme Court on Wednesday said that it would look into rehabilitating occupants of a night shelter that has been demolished by the Delhi Development Authority in the city's Sarai Kale Khan area.

The court was originally scheduled to hear a petition against the demolition. However, by the time the case was taken up by a Bench of Justices Hrishikesh Roy and Dipankar Datta, the night shelter was demolished. "Nothing can be done now at this stage," the Bench said. "If it is demolished, we have to now consider the question of rehabilitation."

The case was mentioned for an urgent hearing by advocate Prashant Bhushan before Chief Justice DY Chandrachud in the morning. Bhushan said that the night shelter was being demolished without any alternative arrangement to relocate its occupant. Advocate Prashant Bhushan mentioned the matter before a bench of Justices Hrishikesh Roy and Dipankar Datta, and said the demolition was supposed to start at 10.30 am but the authorities commenced it at 10 am and the night shelter has been demolished. Bhushan said over 50 people were availing of the night shelter.

When he said that demolition has been done, the bench observed, "Nothing can be done now at this stage. If it is demolished, we have to now consider the question of rehabilitation." "The urgency element has gone away," the top court said.

Bhushan initially mentioned the matter for urgent hearing before a bench headed by Chief Justice D Y Chandrachud. He told the bench that earlier the matter pertaining to homeless people was heard by a bench of Justices S R Bhat and Dipankar Datta.

The CJI said that Justice Bhat was not available today and granted him liberty to mention the matter before a bench comprising Justice Datta. Bhushan rushed to the bench headed by Justice Roy which was in the midst of hearing a matter listed before it.

"There is something very urgent that has propped up. I am sorry to interrupt. This is that homeless matter. There is a night shelter," Bhushan told the bench. The bench said it was in the midst of hearing a matter.

After the hearing in the matter was over, Bhushan mentioned the issue relating to demolition of the night shelter and said the authorities have come there with bulldozers. "The homeless matter is pending before this court. The issue is about a night shelter for homeless people," he said.

"One night shelter is being demolished right now without providing alternative accommodation. They (authorities) have preponed the demolition. It was supposed to start at 10.30 am but it started at 10 am today," Bhushan told the apex court. The bench told him to call the counsel for the other side so that the matter can be heard. Bhushan said he is being informed that demolition at the site has happened.

Identify land for settling people before demolition in Tughlakabad: Sisodia to CS

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia has directed Chief Secretary Naresh Kumar to identify land for the rehabilitation of victims ahead of a proposed demolition drive in the Tughlakabad Fort area. The Archeological Survey of India has proposed a demolition drive in the fort Area.

A political slugfest has erupted in the national capital over a Delhi Development Authority (DDA) demolition drive in the Mehrauli Archaeological Park area after Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena directed the DDA to stop the drive, five days after the exercise began.

AAP MLA Somnath Bharti on Wednesday accused him of "indulging in politics" and trying to "malign" Chief Minister Arvind Kejriwal's image. In a letter to Saxena, Bharti sought compensation and rehabilitation package for victims who have been rendered homeless by the authority.

On the other hand, Leader of Opposition Ramvir Singh Bidhuri held AAP government responsible for demolition due to the wrong survey of its revenue department and demanded a special session of Delhi assembly.

According to a statement issued by Delhi government, the Archaeological Survey of India (ASI) intends to demolish over a thousand houses in Tughlakabad village as part of its demolition campaign. There was no immediate reaction available from the ASI. Sisodia has asked Kumar to identify land for the rehabilitation of those affected, urgently prepare a proper plan and submit a status report within a week, the government said in the statement.

"The proposed demolition drive in Tughlakabad village by the Archaeological Survey of India, a central government agency, will prove extremely cruel to the people living in that area for a long time and will have a very adverse impact on the people. "The elderly, children, women, and disabled individuals there will be particularly impacted by it. The Delhi government asserts that no demolition should take place in such a circumstance without ensuring adequate rehabilitation first," the statement quoted Sisodia as saying.

In the letter, the AAP MLA said that in "reality the demarcation which became the basis of the demolition order was neither shared with the office of Chief Minister Arvind Kejriwal nor with the office of Revenue Minister Kailash Gahlot".

"Any direction given on an issue being/to be dealt by the Revenue Office issued by Chief Minister of Delhi and/or his cabinet cannot be disrespected by the executives and any deviation from this will amount to dereliction of duty and contempt of Supreme Court of India," Bharti said in his letter.

"This I am saying so because in spite of a categorical order, issued by none less than Revenue Minister Kailash Gahlot, cancelling the demarcation report and directing the DM South to undertake the fresh demarcation after inviting suggestions/objections from the people residing on these lands was not given any heed to and rather Minister had to issue another letter demanding explanation from DM South on inaction on his order," he said.

Bharti said he requests Saxena to investigate this "serious breach of transaction of business rules, Govt. Of NCT of Delhi Act, Constitution of India and various judgments of Hon'ble Supreme Court of India and punish the officials guilty of this severe dereliction".

On the LG's statement issued on Tuesday, the AAP leader said that "such an attempt was surely political from your office with the sole intent to malign the clean image of Arvind Kejriwal ji and Aam Aadmi Party government".